

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1983

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 15 मार्च, 1983

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7) 20
विभिन्न विषयों का उठाया जाना—	
(i) पंजाब नैशनल बैंक पलवल में धोखेबाजी संबंधी	(7) 23
(ii) श्रीमती करतार देवी, एम0एल0ए0 द्वारा सांपला निश्राम गृह में एक महिला के अभिकथित बलात्कार के मामले में जांच रिपोर्ट देने संबंधी	(7) 24
(iii) एंटी डिफैक्टान (हरियाणा) बिल को अस्वीकार करने संबंधी	
	(7) 24

वाक आउट	(7) 26
वक्तव्य— उद्योग मंत्री द्वारा मिट्टी के तेल की दोहरी नीति संबंधी	(7) 26
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— बिलजी के बिलों को बढ़ा चढ़ा कर चार्ज करने संबंधी	(7) 28
वक्तव्य— सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(7) 32
श्रीमती करतार देवी, एम0एल0ए0 द्वारा सांपला विश्राम गृह मे एक महीला के अभिकथित बलात्कार के मामले मे जांच रिपोर्ट देने संबधी (पुनरारम्भ) बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट	(7) 37
वाक आउट	(7) 43
बिजनैसे एडवाईजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट (पुनरारम्भ)	(7) 44
सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र	(7) 44

<p>वर्ष 1982-83 के लिये सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान-</p> <p>(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभावित व्यय के अनुमानों पर चर्चा</p> <p>(ii) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान</p>	(7) 45
वाक आउट	(7) 48
<p>वर्ष 1982-83 के लिये सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस (दूसरी कि त) का मतदान (पुनरारम्भ)</p>	(7) 53

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 15 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन,
सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा
सिंह)

ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Electricity Supplied to Agricultural Sector

***105. Shri Kitab Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the feeder wise number of hours for which electricity was supplied in the State for Agricultural sector daily during the period from 15-10-1982 to 15-11-1982?

Irrigation & Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala): A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

There are 737 feeders in the State which provide Electricity to Agricultural sector. The running of these feeders is logged daily on hourly basis at the sub stations. To compile the same, it has to be collected from 167; sub stations, scattered thorough out he state. There fore, collection of complete and correct information for the State as a whole is highly time consuming.

2. However, on the basis of date, available at the headquarters, board picture on the working of feeders, circle wise, in the State for the specified period is given below:-

Sr. No.	Name of Circle	District (s) covered	Average running hours per day (3 phase supply)
1	Ambala	Ambala	5.0
2	Kurukshertra	Kurukshertra	5.0
3	Karnal	Karnal	5.0
4	Delhi	Sonepat & Parts of Rohtak	8.0
5	Rohtak	Jind part of Rohtak & Sonepat	7.0

6	Hissar	Hissar & Sirsa	8.0
7	Bhiwani	Bhiwani & parts of Mohindergarh	8.5
8	Gurgaon	Gurgaon & parts of Mohindergarh	8.0
9	Faridabad	Faridabad & parts of Gurgaon	7.0

The above hours are for running feeders on 3 phase. However during remaining hours of the day, two phase supply has been given for lighting and general use.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय, ने अपने सवाल के जवाब में फीडर को बिजली सप्लाई करने के बारे में एक स्टेटमेंट टेबल पर रखी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस स्टेटमेंट में जितने फीडर बताए गए हैं, इनको कितनी बिजली मिलनी चाहिए थी, एकचुअल कितनी बिजली इनको सप्लाई की गई और यदि कम बिजली सप्लाई की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री किताब सिंह ने अपने सवाल में 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक एग्रीकल्चरल सैक्टर को फीडर वाईज बिजली सप्लाई करने के बारे में पूछा है। उस दौरान 10 दिन बिजली

जनरे इन की पोजी इन बहुत 4 खराब रही थी। उसका मेन कारण यह था कि पानीपत का एक थर्मल प्लांट किसी खराबी की वजह से बंद रहा इसके अलावा फरीदाबाद के एक प्लांट को छोड़ कर बाकी प्लांट इस दौरान एनुअल मंटीनेंस के लिये बंद थे अध्यक्ष महोदय, जब बिजली की सप्लाई एक करोड़ यूनिट से नीचे चली जाती है तो यह समझते हैं कि बिजली की जनरे इन में क्राइसिस आ गई है और जब बिजली की जनरे इन एक करोड़ यूनिट से ऊपर चली जाती है तो हम समझते हैं कि हमारी बिजली की जनरे इन की पोजी इन अच्छी है। उन दिनों बिजली की जनरे इन की पोजी इन एक करोड़ यूनिट से नीचे थी। 80-90 और 95 लाख यूनिट्स से ऊपर चली जाती है तो हम एग्रीकल्चरल सैक्टर, इंडस्ट्रियल सैक्टर और डोमैस्टिक कन्ज्यूमर्स के लिये पूरी बिजली सप्लाई करते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने सवाल के जवाब में सर्किलवाइज फीडरों के निर्दिष्ट समय के लिये चलने का ब्यौरा दिया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या बिजली की सप्लाई रेगुलर थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी अधा घंटा के लिये तो कभी दस मिनट के लिये बिजली सप्लाई की गई हो ?

चौधरी भाम देव सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपका भी काफी अच्छा तजुर्बा है और मैंबरज साहेबान भी जानते हैं कि बिजली की सप्लाई नॉर्मली कंटीन्यूअस ही होती है।

बिजली सप्लाई सिस्टम में जो इंटरप्शन होती है वह दो कारणों से होती है। एक तो यह है कि बी०बी०एम०बी० से इंटरप्शन आ जाती है। दूसरा यह है कि वहां पर लोकली मीनो में किसी फाल्ट की वजह से इंटरप्शन आ जाती है। कई बार वहां पर मीनों पर ज्यादा लोड बढ़ जाने के कारण मीनों को बचाने के लिये उनको बंद करना पड़ता है इसलिये भी इंटरप्शन आ जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी आधा घंटा और कभी 10 मिनट बिजली सप्लाई की गई हो। नॉर्मली बिजली की सप्लाई कंटीन्यूअस हो रही है। जो हमने 5-7 और आठ घंटों की फिगर दी है वह एवरेज फिगर है। बिजली की सप्लाई इससे भी ज्यादा रही है। उस दौरान तीन फेस में बिजली की सप्लाई थोड़ी कम थी लेकिन दो फेस में इससे ज्यादा सप्लाई थी।

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट में जो बिजली सप्लाई की एवरेज फिगर दी गई है, क्या यह रूरल फीडर्ज की है, इनमें अर्बन फीडर्ज भी शामिल है?

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, जो मेन सवाल पूछा गया है वह एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में पूछा गया है इसलिये यचे फिगर एग्रीकल्चरल सेक्टर की सर्कलवाइज फिगर है।

श्रीमती चंद्रवती: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि बिजली सप्लाई में जो इंटरप्शन होती है, क्या वह मॉनों में सब स्टैंडर्ड माल लगाने की वजह से होती है?

चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इस बारे में सभी मालूम हो सकता है जब किसी इन्डिविजुअल इंटरप्शन की जांच करवाई जाये।

श्रीमती चंद्रावती: फिर आप इन्वेस्टीगेट क्यों नहीं करवाते ?

चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड ने बाकायदा इस बात के लिये एक इन्वेस्टीलगेशन सैल बनाया हुआ है जो ऐसी बातों को इन्वेस्टीगेट करता है। इसके अलावा वह सैल बिजली के सारे सिस्टम को इम्पूव भी करता है। अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि आपोजीशन भी इस बात को जानती है और इस बात का इन्कोन्जुर्बा भी है कि बिजली के सिस्टम को स्टैबलाइज करने में बहुत टाईम लगता है। सारे 33 के0वी0 के सब स्टेशन को 66 के0वी0 स्टेशन और 66 के0वी0 सब स्टेशन को 120 के0वी0 स्टेशन बनाने में बहुत समय लगता है। यह एक दिन की बात नहीं है।

श्री देवी दोस: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने जवाब में दिल्ली सर्कल को आठ घंटे बिजली सप्लाई करने के बारे में

बताया है। उसमें सोनीपत का एरिया भी आ जाता है। इसके अलावा सोनीपत का एरिया रोहतक सर्कल में भी बताया गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सोनीपत के फीडर्ज को प्रति घंटा कितनी बिजली सप्लाई की जाती है और क्या पानीपत को सर्कल बनाने का विचार है?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट दो सर्कलों में फाल करता हूँ इसलिये दोनों जगह सोनीपत में नान किया हुआ है। इसके अलावा सोनीपत को अभी सर्कल बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमारे जितने थर्मल प्लांट्स हैं, उनकी बिजली की जनरे नान कपैसिटी कितनी है और एक्युअप पावर जनरे नान कितनी है, अगर कपनैसिटी के मुताबिक पाव जनरे नान नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, फरीदाबाद का जो थर्मल प्लांट है, उसमें चार मीने हैं। एक 15 एम०बी०ए० की है और तीन 60-60 एम०बी०ए० की है। इसी तरह से पानीपत थर्मल प्लांट्स में दो मीने हैं, वे दोनों मीने 110-110 एम०बी०ए० की है। पानीपत के दोनों प्लांट्स में आज 85 परसेंट बिजली प्रोड्यूस हो रही है जो सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा फरीदाबाद में जो थर्मल प्लांट्स हैं, उनमें

से जो 15 एस0डब्ल्यू0 की मीन वाला प्लांट है वह बहुत अच्छी बिजली जनरेट कर रहा है। बाकि जो दूसरे थर्मल प्लांट्स जब से लगे हैं, उस समय से उनकी मीन अच्छी तरह से स्टेबलाइज नहीं हुई है, उसके लिये पिछले दिनों बिजली बोर्ड ने काफी प्रयत्न किये हैं और उनमें इम्पूवमेंट हुई है। आजकल किसी भी सैक्टर में पावर कट नहीं है।

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया था कि अब कोई पावर कट नहीं है मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी जानकारी में यह बात है कि आज भी बिजली का ओवर लोड होने के कारण ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं और जिस की वजह से ट्यूबवैल्व को बिजली नहीं मिल पाती है ? सरकार ओवर लोड को इम्पूव करने के लिये क्या कुछ कर रही है ?

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, आजकल बिजली की सप्लाई में कोई कट नहीं है। लेकिन हमारे तीन चार स्पॉस ऐसे हैं, जैसे दादरी, नारायणगढ़ और सम्भालखा है, जहाँ पर हम सिस्टम में कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से 24 घंटे बिजली सप्लाई नहीं कर सकते। हम बिजली सप्लाई सिस्टम को इम्पूव करने के लिये चाहे वह ट्रांसफार्मर के जरिए हो और चाहे पावर सब स्टेशन को अपग्रेड करने से हो, लगातार कोर्पेस कर रहे हैं। इस काम के लिये पिछले साल भी पैसा बिजली बोर्ड को दिया गया था और इस साल भी काफी पैसा रखा है।

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, हमारे हरियाणा में जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं उनमें से एक भी थर्मल प्लांट आन एन एवरेज फुल कपैसिटी का 40 परसेंट से ज्यादा बिजली जनरेट नहीं करता जबकि प्राइवेट थर्मल प्लांट्स जैसे बिड़ला, टाटा के थर्मल प्लांट्स हैं, वे 85 परसेंट आफ दि कपैसिटी बिजली जनरेट करते हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमारे थर्मल प्लांट्स इतनी थोड़ी बिजली जनरेट क्यों करते हैं?

चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इन्होंने जो 40 प्रतिशत की बात कही है, यह ठीक है कि यह परफार्मेंस अप टू दी मार्क नहीं है।

श्री मंगल सैन: क्या आप इसके कारण बतायेंगे ?

चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, यह भी मैं इनको बता देता हूँ। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है बिजली की सप्लाय में कई बार कोयले की कम सप्लाय के कारण भी दिक्कत आ जाती है, कई बार मीनरी ठीक काम नहीं करती तो उस कारण प्लांट्स को बंद करना पड़ता है। कई बार बिजली की ट्रिपिंग की वजह से दिक्कत आती है। जब मीनरी में कोई खराबी आ जाती है तो उस समय हमें ज्यादा दिक्कत आती है। मीनरी की मेजर रिपेयर बी.एच.ई.एल. वाले करते हैं। इन सारी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली की लगातार सप्लाय में किस कारण दिक्कत आती है। पिछले तीन सालों का

जो प्लांट लोड फैक्टर रहा है वह मैं आपको बतिया देता हूँ। ये फिगर 1981-82 तथा 83 की है। सन् 1983 के अंदर प्लांट लोड फैक्टर 65, 67, 61, 71, 66, 61, 65, 64, 63, 59 तथा 54 हैं सन् 1982 के अंदर प्लांट लोड 41, 31, 27, 27, 35, 47, 37, 40 तथा 43 रहा। इसी प्रकार से 1981 का प्लांट लोड फैक्टर 8, 9, 34, 24, 31, 32, 33 तथा 36 रहा है। इस प्रकार से लगातार कांस्टैंट इम्पूवमेंट हो रही है हमें उम्मीद है कि आल इण्डिया लैवल के मुकाबले में पर प्लांट लोड फैक्टर को हम बहुत जल्दी ही ऊपर ले जायेंगे।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि हम प्लांट्स में इम्पूवमेंट कर रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा है कि फरीदाबाद का एक यूनिट तो ठीक काम कर रहा है और बाकि के तीनों यूनिट जब से लगे हैं तब से ठीक काम नहीं कर रहे हैं। मैं इन से साफ तौर पर यह पूछना चाहता हूँ कि जो यूनिट ठीक काम नहीं कर रहे क्या उनकी मीनरी में तो कमी नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि जब इन यूनिट्स के अंदर में मीनरी लगाई गई हो वह सब स्टैंडर्ड है यदि मीनरी सब स्टैंडर्ड है तो क्या वे इस बात की इन्कवायरी करवाने के लिये तैयार हैं?

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इन्कवायरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिट्स ठीक काम कर रहे हैं। इन्कवायरी उस बात की हुआ करती है जिसके कारण न

पता हों वैसे मैं इनकी जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि बिजली की ट्रिपिंग की वजह से भी खराबी हो जाती है। बिजली की ट्रिपिंग अकेले हरियाणा में ही नहीं है। यह कीम हर स्टेट के हर प्लांट में है। ज्यों ज्यों ग्रैजुअली प्लांट्स स्टैब्लाइज्ड होते जायेंगे, त्यों त्यों समस्या का समाधान होता जायेगा तथा प्लांट लोड फैक्टर बढ़ता जायेगा।

श्री मंगल सैन: क्या इस समस्या को खत्म होने में 10-20 साल लगेंगे ?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अब तो यह समस्या तकरीबन खत्म हो चुकी है। हरियाणा के अंदर बिजली की सप्लाय दूसरी स्टेटों की अपेक्षा ठीक प्रकार से की जा रही है।

श्री किताब सिंह: स्पीकर सहाब मैंने कृषि क्षेत्र के बारे में पूछा था। मैं इसी संबंध में जानना चाहता हूँ कि क्या ये फिगरज, फीडरवाइज जो दी गई है, ठीक है ?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मैं इनकी बात को समझ गया। इनको ठीक प्रकार से पूछन नहीं आया। जो स्टेटमेंट फीडर के संबंध में 15-10-82 से 15-11-82 तक की दी है, यह समय क्राईसिस का होता है इनको मैं मोटे तौर पर पिछले साल के संबंध में और इस साल के संबंध में बताना चाहूंगा कि 20-11-82 से 12-12-82 तक बिजली पर कोइ कट नहीं लगाया गया। क्योंकि यह समय बीजाई का होता है।

हमने ट्यूबवैलों को प्रतिदिन लगातार 12 घंटे से 15 घंटे बिजली सप्लाई की है। 28-2-83 के बाद कोइ पावर कट नही है। हमने कई जगहों पर 24 घंटे लगातार बिजली दी है।

Elections to municipal Committees in the State

***107. @Shri Mangal Sein, Shri. Fateh Chand Vij:**

Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to hold Elections to Municipal Committees in the State; and

(b) if so, the time by which the election to Municipal Committees are likely to be held?

Minister of State for Local Government (Shri A.C. Chaudhry):

(a) Yes, Sir.

(b) As the date for holding these election has not been fixed the time by which the election will be held cannot be indicated at this state.

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाब के 'ए' भाग में कहा है 'जी हां' और 'बी' भाग में कहा है कि 'क्योंकि चुनाव कराये जाने की तिथि निश्चित नहीं की गई इस अवस्था में यह नहीं बताया जा सकता कि चुनाव कब कराये जायेंगे।' इन्होंने कोई निश्चित तिथि नहीं बताई। मैं जानना चाहता हूँ कि चुनाव करवाने में इनको क्या रुकावट आ रही है क्योंकि पिछले 14 सालों से नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं हो रहे हैं ?

श्री ए0सी0 चौधरी: मेरे फाजिल दोस्त के मेन सवाल के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा था कि क्या राज्य में नगरपालिकाओं

का चुनाव कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसका जवाब मैंने दे दिया है कि 'जी हां'। दूसरा हिस्सा था कि यदि ऐसा है, तो नगरपालिकाओं के चुनाव कब तक कराने की संभावना है। उस का उत्तर मैंने दिया है कि अभी तिथि निश्चित नहीं बताई जा सकती है। सपीकर साहब पहले तो चुनाव 1971 के सैंसीज के मुताबिक कराये जाने थे लेकिन बाद में 1981 के सैंसीज के आंकड़े जून जुलाई तक आ चुके हैं। अब इनही के बेसिज पर चुनाव करवाये जाने चाहिये। मेरी इस बात से हाउस के सभी सदस्य सहमत होंगे।

मास्टर सिविल प्रजाद: नई सैंसीज के मुताबिक जो वार्ड आदि बनने हे उन पर कब तक काम भुरू हो जायेगा।

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर साहब, यह काम म्युनिसिपल कमेटी का है। यदि मेरे बस में या हमारे अधिकारियों के हाथ में यह काम होता तो मैं तिथि बता सकता था। चूंकि अब यह काम म्युनिसिपल कमेटी के स्टाफ ने करना है, इसमें कुछ समय तो लगेगा ही। इसलिये निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं कि इस पर काम जितना जल्दी हो सकेगा, भुरू करने की कोशिश करेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: वार्ड बंदी और हल्के बंदी करके क्या ये हाउस को विवास में लेकर बता सकेंगे कि हम नगरपालिकाओं के चुनाव आगामी तीन सालों तक करवा देंगे ?

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर साहब, मैंने तो बड़ा सिम्पल सा सवाल पूछा था लेकिन इन्होंने बड़ा घिसा पिटा सा जवाब दे दिया। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया कि सैसिज की फिगर 1981 में आई और इन के ऊपर म्यूनिसिपल स्टाफ ने काम करना था। स्पीकर साहब, डैमोक्रेसी का तकाजा है कि चुनाव होने चाहिये। अरबन रिहैबिलिटैटस के द्वारा फ्रैंचाईज को एक्सरसाईज करने का सवाल भी है मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि इस लाईट में आपकी प्रोसैसिंग किस स्टेज पर है और इस दि 11 में आपने क्या क्या पग उठा रखे है। ताकि कमेटियों के इलैक्शन करवा सकें ? इस रास्ते में क्या क्या रूकावटें है।

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर साहब, डैमोक्रेसी के तकाजे की बात को सामने रखने रखते हुए मैं यचह बताना चाहता हूँ कि आफिस की फाइलें इस बात की बवाह है कि जब आप मिनिस्टर थे, उस वक्त म्यूनिसिपल एक्ट में अमेंडमेंट करके आपने ये इलैक्शन पोस्टपोन किये थे। इसके बाद 1977, 1978, 1979 और 1980 में दोबारा अमेंडमेंट करके इलैक्शन पोस्टपोन किये गये थे। इसके अलावा मेरे फाजिल दोस्त वे रूकावटें जानना चाहते है जो इलैक्शन करवाने के रास्ते में रूकावटें बनी हुई है। रूकावटें यह है कि तकरीबन 24 म्यूनिसिपल कमेटीज की पोलिटिकल पोर्टीज की तरु से और कई इंडिविजुअल्ज की तरफ से ये औब्लैक्शन आते हरे है कि वार्ड बंदी गलत है, उसको ठीक किया जाये। वार्ड बंदी को ठीक करवाने के लिये म्यूनिसिपल

एडमिनिस्ट्रेटर्ज को ये आदे 1 दिये गये हे कि जिस जिस लिमिट तक वे अपने वार्ड की हद बढ़ाना चाहते है, बढ़ा ले ताकि टैक्स की इवेजन और लीकेज खत्म की जा सके। म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर जो वार्ड बनाये जा सकते है, वे बनाये जाये।

Shrimati Chandravati: Sir, the Home Minister has not given a clear reply as to when the elections to the municipal committee are going to be held in the State? This should not be so, He is constantly giving the same reply that the date for holding the elections has not been fixed. He should give a definite reply.

Mr. Speaker: The Home Minister has expressed his difficulty in indicating the date.

चौधरी कुलबीर सिंह मालिक: स्पीकर साहब, क्या यह सत्य नहीं है कि सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रही है और डे टू डे म्यूनिसिपल कमेटी की वर्किंग में इंटरफीयर करती रहती है और मनमाने ढंग से काम करती है।

श्री ए0सी0 चौधरी: यह गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

Shri Mangal Sein: This is no answer, Sir,

Shri A.C. Chaudhry: This is just a relevant answer.

श्रीमती चंद्रावती: स्पीकर साहब, आउन एंड कंट्री पलानिंग विभाग का बहुत सा काम म्यूनिसिपल कमेटी के एरियें के

अंदर आता है। अगर मिनिस्टर साहब चुनाव करवाये बिना यह काम करवायेंगे तो यह सारा काम इरलीगल हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर साहब, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक सैप्रेट डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर भी अलग है और इस विभाग का म्यूनिसिपल कमिटीज के साथ कोई दखल नहीं है।

Shrimati Chandravati: Sir, may I know as to when are they going to hold the elections to Municipal committees and क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 15 याल से आप इलैक्शन नहीं करवा रहे, क्या यह सरकार भाहर के लोगो को उनके हक से वंचित नहीं कर रही ? क्या इलैक्शन होना उनका कांस्टीच्यूशनल अधिकार नहीं है?

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर साहब, मैं लोगों के हकूक की बात को मानता हूँ। अगर किसी कारण से चुनाव नहीं हो सके, तो हमारे एम०एल०एज० तो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये अपने हकूक की हिफाजत तो कर सकते हैं ?

मास्टर रिवा प्रसाद: स्पीकर साहब, 1981 में हमारे एक्स मिनिस्टर श्री मांगे राम गुप्ता ने एलान किया था कि म्यूनिसिपल इलैक्शन होंगे। क्या 1981 में सैसिंज का सवाल उनके सामने नहीं था?

श्री ए०सी० चौधरी: जहां तक एलान का ताल्लुक है, आपने देखा होगा हमने इलैक्शन करवाने के लिये नोटिफिकेशन जारी की थी कि हम 26 दिसम्बर, 1982 को इलैक्शन कराने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे सामने सिर्फ यही हरडल आई! उस वक्त सैंसिज की फिगरज हमारे पास तैयार थी। अगर उस वक्त हम 1971 के सैंसिज के बेस पर इलैक्शन करवा देते तो 1971 के बाद जो लोग वोट के अधिकारी बने थे, उनको उनके राईट आफ वोट से डिपराइव करते। लिहाजा यही ठीक समझा गया कि 1981 की सैंसिज को आधार माना जाये।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, सरकार कुछ भाहरों में म्यूनिसिपल कारपोरेशन बनाने जा रही है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रोहतक भाहर को म्यूनिसिपल कारपोरेशन बनाने का मामला उनके विचाराधीन है ?

श्री ए०सी० चौधरी: किसी भी भाहर में म्यूनिसिपल कारपोरेशन बनाने के लिये पहली रिक्वीजिट यह है कि दो लाख के ऊपर की आबादी वाले भाहर को कंसीडर किया जा सकता है और इस नार्म के मुताबिक भायद फरीदाबाद कम्प्लैक्स को छोड़ कर कोई दूसरी म्यूनिसिपल कमेटी ऐसी नहीं है जो इस क्राईटेरिये को पूरा करती हो। अगर मेरे साथी चाहते हैं तो सरकार इस पर गौर कर सकती है।

Purchase of Tarpaulins

***118. @Shri Kanwal Singh, Ch. Kulbir Singh Malik:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that Haryana State Agriculture Marketing Board purchased tarpaulins worth more than rupees ninety lacs during the period from the month of July, 1979 to day;
- (b) if so, whether it is also a fact that the quality of these aaid tarpaulins was found to be substandard; and
- (c) if the reply to part (b) above be in the affirmative the action taken or proposed to be taken in the matter?

Agriculture Minister (Chaudhri Surender Singh):

- (a) No. However, the Market Committees in the State purchased tarpaulines worth Rs. 8783447/- during the period from July, 1979 upto 28th Feb. 1983.
- (b) The matter is under enquiry by the Vigilance Departement for enquiry.
- (c) The matter is unde renquiry by the Vigilance Department. However, 29 Secretaries, of the Market Committees, have been placed under suspension after preliminary enquiry by the Agricultural Marketing Board. Department action has been intiated by the Agricultural Marketing Board. Action is also being taken against the other officials involved in these purchases.

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, आप मंत्री जी का जवाब देख लीजिए, इन्होंने सवाल के पार्ट (बी) को इग्नोर करके उसका वेग सा जबाब दिया है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन 29 सैक्रेटरीज को इन्होंने सस्पेंड किया है, इनके खिलाफ क्या क्या प्राईमर फेसाई केसिज है ? दूसरी बात यह है कि तिरपालों को 15 रुपये के रेट की बजाये 25 रुपये के रेट से खरीदा है, क्या यह रेट ठीक है और 29 मार्किट कमेटियों में जो परचेजिंग हुई है, क्या यह ठीक हुई है? परचेजिंग के लिये जो नार्मर्ज बनये हुए है क्या उनको इस केस में फोलों किया गया है?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: टरपोलाइंज की परचेजिंग का प्रोसीजन दूसरी आइटम्ज से अलग नहीं है। यह बात दूरुस्त है कि टरपोलाइंज की िटकयत हमाने पास आई है। सारी मार्किट कमेटी ज ने यह खरीद की और हम महसूस करते हैं कि वास्तव में इस खरीद में कुछ इररैगुलैरिटीज हुई है। यह सारा केस विजिलैंस डिपार्टमेंट को इंकवायरी के लिये भेज दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, सवाल के भाग (बी) में पूछा गया है

“If so, k whether it is also a fact what the quality of these said tarpaulins was found to be substandard.”

इस का जवाब मंत्री जी ने यह दिया—

“The entire matter has been referred to the Vigilance Deparment for enquiry.”

इलको जो रिाकायत थी, उसमे सपैंसिफिक एलीगे ान थे कि तरपालों की क्वालिटी घटिया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसका जवाब इन्होंने क्यों नहीं दिया ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि रिाकायत मे एलीगे ांज भी हे कि मैटीरियल सब स्टैंडर्ड है और दूसरे एलीगे ांज भी है परचेजिंग प्रोसैस ठीक से फौलों नहीं किया गया है। हम महसूस करते है कि न कुछ किसी न किसी लैवल पर मार्किट कमेटियों द्वारा की परचेजिंग मे गड़बड़ है। जब हमें भाक हुआ तो हमने सारे का सारा मामला विजिलैंस को इंक्वायरी के लिये भेज दिया।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं वजीर साहब को कहना चाहता हूं कि आखिर तक इस मामले पर डटे रहे। ऐसा ना हो कि किसी के प्रै ार मे आ जाये। स्पीकर साहब, इन्होंने अपने जवाब मे कबूल किया है कि जो रिाकायत आई है, उस मे माल सब स्टैंडर्ड को रिाकायत है। इस मे यह भी गलीगे ान है कि नार्म की फौलो नहीं किया गया, इसीलिये इस के स को विजिलैंस डिपार्टमेंट को इंक्वायरी के लिये भेजा है। स्पीकर साहब, इन्होंने सवाल के पार्ट (सी) के जवाब मे फरमाया है—

“The matters under enquiry be the Vigilance Department. However, 29 Secretaries, of the Market Committees, have been placed under suspension after preliminary enquiry by the Agricultural Marketing Board.”

ये 29 आफि टायल कौन कौन है, इनके खिलाफ क्या क्या चार्जिज हे, क्या आप उनके नाम बतायेंगे जो इस केस मे इन्वाल्ड है और जो इन्वाल्ड है उनके खिलाफ आपने क्या एक न प्रपोज किया है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मार्किट कमेटी के लिये किसी भी आईटम की प्रचेज करने के लिये आफिसरज की अलग अलग स्टेजिज पर अलग अलग डियूटीज है। मसला अकाउंटैंट, रैजिडैंट आडिट आफिसर एग्जैक्टिव आफिसर कम सैक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर इन सभी के खिलाफ जिसकी जितनी जिम्मेवारी हे और जो भी उसके गलती की है, सब के खिलाफ एक न ले रहे है।

श्रीमती चंद्रावती: मंत्री महोदय, बतायेंगे कि क्या यह प्रचेज अप्रूव हुई थी ? जिन्होंने प्रचेज की है उनके क्या क्या नाम है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मार्किट कमेटी मे प्रचेज का सवाल हे उसका बहुत सिम्पल तरीका है। पचास रूपये तक की प्रचेज सैक्रेटरी मार्किट कमेटी कर लेता है। हर मार्किट कमेटी की अलग अलग बजट है बजट भी कुछ एक कमेटीज का दस दस हजार का है लेकिन प्रचेज ज्यादा पेसे की हुई है। किसानों की और आढ़तियों की मांग को मददेनजर रखते

हुए मार्किट कमेटीज ने बोर्ड से डिस्कस करके यह सारा मामला तय किया ।

एक सदस्य: क्या किसी की जिम्मेदारी फिक्स की है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत साफ साफ कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर अकाउंटेंट इंकल्यूडिंग एग्जैक्टिव आफिसर तक की अलग अलग जिम्मेदारी है ।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 20 हजार रूपये से अधिक के तिरपाल किस किस मार्किट कमेटी ने खरीदे है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: लाडवा, घरोंडा, रादौर, चीका, पेहवा, कैथल, तरावड़ी, असंध, निसिंग, ढांड, करनाल, नीलोखेड़ी, इसराना, इंद्री, भाहबाद, पुंडरी, गुहला, इस्मायलाबाद, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, छछरौली, यमुनानगर, गुड़गांवा, सोहना और बरवाला आदि आदि ।

श्री देवी दास: मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि सन् 1979 से 28 फरवरी, 1983 तक 8783447 रूपये के तिरपाल खरीदे है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या ये एक ही फर्म से खरीदे है या अलग अलग फर्मों से खरीदे है ? अगर एक ही फर्म से खरीदे है तो अलग अलग मार्किट कमेटी ने कितने कितने रूपये के तिरपाल खरीदे है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, किसने कहां से माल खरीदा, यह इंफर्मे ान नही आई है, वह तो विजिनैस डिपार्टमेंट देगा। लगभग 13 फर्मे हे जिनसे तरपाल खरीदे है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि विजिलेंस की इंक्वायरी रिपोर्ट कब तक तक मिल जायेगी ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: इन ड्यू कोर्स आफ टाईम मिल जायेगी।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मार्किट कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर 20 हजार रूपये तक की प्रचेज कर सकता है और क्या यह विद इन रूल्ज परमिसीबल है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय एडमिनिस्ट्रेटर मार्किट कमेटी के लिये कितनी ही प्रचेज कर सकता है लेकिन प्रचेज पोसिजर मे फर्क है। अगर प्रचेज बीस हजार से नीचे हो तो कुटे ान ले सकता है और ऊपर की हो तो टैंडर इंवायट कर सकता है।

चौधरी साहब सिंह सैनी: मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस केस मे क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेटर भीर इन्वाल्ड है, अगर इन्वाल्ड है तो अब तक क्या कर्यावाही हुई है और नही हुई है तो क्या करने जा रहे है?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: जितनी मार्किट कमेटीज के एडमिनिस्ट्रेटर एस0डी0एम0 है, वे सभी इसमें इन्वाल्वड है।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो लैटर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने जो चिट्ठी लिखी है वह अपने लैवल पर लिखल है। मार्किट कमेटी, बोर्ड और कारपोरेटों की अपनी फंक्शनिंग होती है। बोर्ड आफ डायरेक्टरज होता है उन्होंने अपने लैवल पर चिट्ठी लिखल है न चीफ मिनिस्टर ने न मिनिस्टर ने और न ही सैक्रेटेरियट में बैठे हुए किसी सैक्रेटरीज से बात करके खरीदे है। सरकार की इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। (विधन) (इस समय कई सदस्य सप्लीमेंट्री पूछने के लिये खड़े हुए)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, इस सवाल पर हाफ एन आवर डिस्कशन होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यह डिमांड कर ले कि क्या हर मैनबर को चार चार सप्लीमेंटरी करने का मौका दिया जाये? यदि ऐसा करेंगे तो क्वैशनज और भी कम आनसन हो सकेंगे। मैं पहले ही दो दो सप्लीमेंटरी करने का मैनबरज को मौका दे रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी पूरे क्वैशनज आनसर नहीं हो पाते। इस सवाल पर मैं समझता हूँ कि काफी सप्लीमेंटरी हो गये हैं और फरदर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। नैक्सट क्वैशन।

Construction of Dams for the State

***122. Chaudhri Kundan Lal:** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state—

- (a) whether any Dams are at present under construction or are proposed to be constructed in the near future for the benefit of the State;
- (b) if so, details thereof together with the details of the time since when such Dams are under construction or the period within which construction thereof is likely to be started and completed; and
- (c) the details of the benefits which are likely to accrue to the State by such Dams?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

- (a) No Dam is at present under construction. Thein Dam on river Ravi and Kishau Dam on river Yamuna are proposed to be constructed. Thein Dam will be constructed by the State of Punjab and Kishau Dam will be constructed by the State of U.P. The State of Haryana stands to benefit from these inter State Projects.

A Diversion Dam is proposed to be constructed across river Sutlej under Nathpa Jhakri Project for the diversion of water through tunnels for the generation of power.

(b) The construction of Dams has not so far been started. The dates of completion cannot, therefore, be forecast at this stage.

(c) Haryana will be able to get its full share of 3-5 m.a.f. of surplus Ravi Beas water after the construction of Thein Dam Haryana' claim on sharing of power for this Dam is under the consideration of Union Government.

Haryana's share in Kishau Dam storage has not so far been finally determined.

500 crore units of power are estimated to be generated under Nathpa Jhakri Hydro electric Projects. Haryana will get 42 % share out of this power.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सहाब, मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए इस सवाल के (ग) भाग में बताया कि थीन डैम के निर्माण उपरांत हरियाणा को रावी व्याय के सरप्लस पानी का 3.5 एम0ए0एफ0 हिस्सा पूरा मिल जायेगा तथा इस डैम से पैदा होने वाली बिजली के बंटवारे पर हरियाणा का कलेम भारत सरकार के विचाराधीन है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कलेम तो हमारा एस्टैबलि ाड है लेकिन जो क्वांटम आफ भोयर विचाराधीन है वह कितना है?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: हमारे कलेम तो मान गये है लेकिन determination of share is still under consideration of the Union Government.

श्री मंगल सैन: मंत्री महोदय ने सवाल के पार्ट (सी) के जवाब में यह लिखा है कि

“Haryana will be able to get its full share of 3.5 m.a.f. of surplus Ravi Beas water after the construction of Thein Dam.....”

क्या यह बात सही है कि तीन डैम बन जाने के बाद आपको उसमें हिस्सा मिल जायेगा? दूसरी, मैं एक बौर बात पूछना चाहता हूँ। कल ही हिमाचल विधान सभा, िमला में यह बात आयी है कि नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्रूवल नहीं मिली है। जब इस प्रोजैक्ट को एप्रूवल ही नहीं मिली है। जब इस प्रोजैक्ट को एप्रूवल ही नहीं मिली है तो आप कैसे यह एंटीसिपेट कर रहे हैं कि आप उससे बैनिफिट डिराईव करेंगे?

चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जहां तक नाथपा झापड़ी प्रोजैक्ट का ताल्लुक है, इस प्रोजैक्ट की तकनीकल एप्रूवल बहुत पहले से ही गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिल चुकी है। फाइनेंशियल क्लियरेंस मिलनी बाकी है जिसमें यह देखना है कि कौन सी स्टेट कितने पैसा लगायेगी और उसका प्रबंध वह कैसे करेगी। प्लानिंग कमीशन में यह थैरोली डिस्कस हो चुका है। तकरीबन वहां पर भी सारी बातों का फैसला हो गया है सिर्फ फैसले की अनाउंसमेंट की इंतजार है। जहां तक तीन डैम का संबंध है, अध्यक्ष महोदय, जब तक तीन डैम नहीं बनता 0.

617 एम0ए0एफ0 पानी जो आजकल पाकिस्तान को बेकार जा रहा है यह जाता रहेगा, लेकिन इस डैम के बन जाने के बाद यह पानी भी अवेलेबल हो जायेगा।

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने पार्ट (ए) के जवाब में यह कहा कि “No damis at present under construction.....” इस सवाल में डैम की कोई डैफिनीशन तो नहीं दी गयी है। महेन्द्रगढ़ में साहबी नदी पर डैम बन रहा है और भी कई छोटे छोटे डैम बन रहे हैं। हरियाणा में जो छोटे छोटे डैम बन रहे हैं, स्पीकर साहब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गयी है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह सवाल तो सारे डैमज के बारे में था तब इसमें जो हरियाणा में छोटे छोटे डैमज बन रहे हैं, उनके बारे में जवाब क्यों नहीं आया ?

चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला: मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह जो कहा गया है कि कोई डैम फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, यह ठीक है क्योंकि अभी तो तीन डैम की जो इन्फॉर्मेशन है वह ही बनी है जिनमें रैजीडेंटियल कालोनीज और रोडज वगैरा बन चुकी हैं और इसके अलावा इसका कुछ पार्ट आफ दी टनल भी कम्प्लीट हो चुका है। नाथपा झांकड़ी में भी रोडज तकरीबन कम्प्लीट हो चुकी है और रैजीडेंटियल कालोनीज लगभग बन चुकी है। (व्यवधान व भाोर) यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि वहाँ पर कोई काम हुआ ही नहीं है। हमने नाथपा झांकड़ी प्रोजेक्ट के लिये हिमाचल सरकार को पैसा भी

दिया है। जहां तक छोटे छोटे अरदर्न डैम्ज का ताल्लुक है, हरियाणा मते केवल एक जगह ही नहीं, ऐसे डेम कई जगह बन रहे होंगे। इन्होंने उनके बारे मे स्पैसिफिकली पूछा नहीं है, अगर पूछेंगे तो बता दूंगा। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं हर छोटे बड़े डैम के बारे मे इंफर्मे इन सप्लाई कर दूँ।

श्री नेकी राम: अध्यक्ष महोदय, हमने अब तक हिमाचल सरकार को 50 लाख रूपये नाथपा झागड़ी प्रोजैक्ट के लिये दिये है।

श्री सागर राम गुप्ता: स्पीकर साहब, अखबर मे आज यह खबरी आयी है कि कल ही हिमाचल विधान सभा मे एक मंत्री महोदय ने यह कहा है कि नथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट के बारे मे अभी तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से कोई पैकज या एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इस बारे मे हरियाणा सरकार की क्या पोजी इन ओर स्टैंड है कि एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है अगर नहीं हुआ है तो क्या वैसे ही आ गा से यह रूपया देते जा रहे है कि एग्रीमेंट हो जायेगा?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी तीन चार अखबार पढ़े है। मैंने कहीं ऐसी बात नहीं पढ़ी जैसे इन्होंने बताया है कि एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। उसमे सिर्फ इतनी बात है कि फाइनें ियल क्लीयरेंस नहीं हुआ है। एग्रीमेंट वगैरा

सब कुछ हो चुका है। भोयर भी डिटरमिन हो चुका है। कौन यह प्रोजैक्ट बनायेगा ऐसी सारे चीजे भी फानैलाईज हो चुकी है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, नाथपा झाकड़ी मे जीन चार किलो मीटर आगे एक स्थान है करचम वांगटू, वहां पर बहुत अच्छा फाल अवेलेबल है, ओर मेरा ख्याल हे कि वहा से कम से कम 600-700 मैगावाट बिजली पैदा हो सकती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां पर भी प्रोजैक्ट बनाने के लिये एग्जामिन करने पर विचार करेगी ?

चौधरी भाम ाेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। सारा हिल्ली रिजन है और वहां पर बर्फ पड़ती रहती है। इसलिये वहां पर बहुत से फाल्ज अवेलेबल है। इस बारे में पोजी ान यह है कि अगर हिमाचल गवर्नमेंट हमारे से इस बारे में समझौता करना चाहे तो हम बाचतीत कर सकते है।

श्रीमती चंद्रावती: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय थिन डैम की कोई स्पैसिफिक डेट या कोई लगभग समय निर्धारित करेंगे कि इस समय तक बन कर अब य तैयार हो जायेगा ?

चौधरी भाम ाेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस डैम के बारे में मैडम प्राइम मिनिस्टर ने जो क्लीयरेंस बहुत दिनों से पैंडिंग थी यह भारत सरकार की तरफ से दे दी थी लेकिन अभी जो इसकी टनल्ज वगैरा बनती है, उनककी टैक्नीकल एप्रूवल

और सैक इन पैडिंग है! वह जब तक नहीं हो जाती, इसकी एबसैंस में कोई टाईम लिमिट फिक्स नहीं की जा सकती।

श्रीमती चंद्रावती: कुछ महीने या साल या सैंचुरी, कुछ तो बता सकते हैं! (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, गलत बात कहने से कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने बताया है इस बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता कि थ्रीन डैम कितने समय के अंदर बन जायेगा।

श्री हीरा नंद आर्य: मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह लिखा है कि थ्रीन डैम के निर्माण उपरांत हरियाणा को राबी ब्यास के सरप्लस पानी का 3.5 एम0ए0एफ0 हिस्सा पूरा मिल जायेगा। भाायद 1964 में यह डैम बनाने का प्रस्ताव किया गया था। उस समय 60 करोड़ इसकी कीमत एस्टीमेट की गयी थी लेकिन अब इसकी कास्ट 700 करोड़ रूपये हो चुकी है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब से जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक कब तक यह कम्पलीट हो जायेगा और क्या इसके कम्पलीट होने के बाद हमें 3.5 एम0ए0एफ0 पानी का हिस्सा मिलना भुरु होगा या उससे पहले? (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, मैं भी आई0पी0एस0 रहा हूं। मैं भी यह समझता हूं कि इस बारे में गलत बात कहने से कुछ

फायदा नहीं होगा। कोइ यह बात पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि यह डैम कब तक कम्पलीट हो जायेगा।

श्री हीरा नंद आर्य: कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं बता सकते तो न सही लेकिन यह तो बता दें क्या जब यह डैम पूरा हो जायेगा तो हमें 3.5 एम0ए0एफ0 पूरा पानी मिलेगा या नहीं?

चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला: बिल्कुल पूरा हिस्सा मिलेगा। न मिलने का या कम मिलने का तो सवाल ही नहीं है। जो पानी आजकल पाकिस्तान को वैसे ही जा रहा है फिर वह भी अवेलेबल होगा और वह प्रोपोनेटली सारी पार्टनर स्टेट्स को मिल जायेगा।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट का एग्रीमेंट हुआ पड़ा है। उसकी फाईनैल क्लियरेंस मिलनी बाकी है। आप भी आई0पी0एम0 रहे हैं। यह यहां पर होकर आये थे। रीवर के अप-स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम काफी फाल्ज अवेलेबल है। वहां पर इंजीनियर्स ने हमें यह बताया कि अगर वहां पर साथ ही 3-4 किलो मीटर पर जो करचम बांगटू का फाल अवेलेबल है, उसका भी समझौता हरियाणा के साथ हो जाये तो इंफ्रा-स्ट्रक्चर का काफी खर्चा जो आलरेडी हो रहा है, वह बच जायेगा। मगर उसके लिये पंजाब वालों के साथ उनकी बातचीत हो रही है। जो इंफ्रा-स्ट्रक्चर नाथपा झाकड़ी में अवेलेबल होगा, उसी के साथ

आप दूसरा प्रोजैक्ट भी बना सकते हो। क्या हरियाणा सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ करचम वांगटू पर भी प्रोजैक्ट बनाने के बारे में बातचीत करने के लिये तैयार है या नहीं ?

चौधरी भाम सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, पंजाब हमारी सिस्टर स्टेट है इसलिये इस बारे में ज्यादा कहना अच्छा नहीं होगा। पंजाब स्टेट इस प्रोजैक्ट (नाथपा झाकड़ी) में भाग लेने में बहुत इच्छुक थी लेकिन हरियाणा इसमें कामयाब हो गया। यह हमारे मुख्य मंत्री जी की सबसे बड़ी सफलता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कोई नैचुरली रिवर नहीं है जिससे हाइड्रो बिजली पैदा की जा सके। अगर हरियाणा को कोई दूसरा चांस मिलेगा तो इसका भी हम पूरा फायदा उठावेंगे। उसके लिये हरियाणा सरकार पूरी तरह से जागरूक है। यह सबसे बढ़िया प्रोजैक्ट है।

House Rent Allowance

***142. Shri Hira Nand Arya:** Will a Minister of Finance be pleased to state whether there is any difference between the house rent allowance being given to the Government employees serving in the rural areas and urban areas; if so, the basis on which different rates have been prescribed?

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar): House rent allowance is admissible only in few "towns". The

dividing line originally was towns having a population of 25000 and above. Consequently most towns too did not qualify for house rent allowance being paid to employees stationed there. As villages had smaller population still, there was no question of grant of house rent allowance in villages. The same situation prevails today and it has been reported that no villages in the State had a population of 25000 or more as per the 1981 census. There is accordingly no question of there being any difference in the rates prescribed for rural and urban areas for the purpose.

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, देहात में जो सरकारी मुलाजिम रहते हैं उनको भी मकान की आवश्यकता होती है और वे भी मकान का किराया देते हैं। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि केवल भाहरों में हाउस रेंट देना, क्या देहात में रहने वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं है?

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, अगर किसी देहात की आबादी पच्चीस हजार या उससे ज्यादा होगी तो हम अब यहाँ पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को हाउस रेंट देंगे।

श्रीमती चंद्रावती: मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गांव में जो सरकारी मुलाजिम रहते हैं क्या वे आसमान की छत के नीचे रहते हैं?

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, जो सवाल पूछा गया है वह इन आर्डर ही नहीं है। सवाल यह था कि क्या

भाहरों तथा गांवों में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले मकान किराया भत्ते के रेट्स में कोई अंतर है। यदि हां तो कि आधार पर भिन्न रेट्स को निर्धारित किया गया है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि चाहे वह देहात है या भाहर है, जहां की आबादी पच्चीस हजार से कम है वहां पर कर्मचारियों को हाउस रेंट नहीं मिलता है। इसमें टाउंज और देहात का कोई डिफरेंस नहीं है।

चौधरी ओम प्रकाश: मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1981 की जनगणना में झज्जर की कई कालोनीज को क्या झज्जर भाहर में शामिल नहीं किया गया है और क्या इस बारे में सरकार के पास कोई एंटीकायत आई है, अगर हां तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, झज्जर भाहर की पंचवीस हजार की आबादी न होते हुए भी जनता रूल में जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कायदे के खिलाफ झज्जर भाहर को 'बी' क्लास घोषित कर दिया था। अब उसको विदड़ा कर लिया गया।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, सवाल में (मूल प्रश्न) यह पूछा गया था कि भाहर और देहात के हाउस रेंट में क्या फर्क है। मंत्री जी ने उसके जवाब में बताया है कि देहात में हाउस रेंट नहीं मिलता है इसलिये फर्क का सवाल नहीं रहता है।

मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में कोई रिप्रिजेंटेशन आई है देहात में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी आवास की दिक्कत आती है, इसलिये उन्हें हाउस रेंट प्रोवाइड किया जाये?

चौधरी कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, सरकार की पोलिसी है कि जहाँ की आबादी पच्चीस हजार या उससे ज्यादा है वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जायेगा। 1981 के सैंसिज के मुताबिक हरियाणा में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसकी आबादी पच्चीस हजार हो, इसलिये देहात में हाउस रेंट मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया है। झज्जर में रहने वाले या गांव में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की तरफ से कि उन को भी मकान भत्ता मिलना चाहिए इस बारे में कोई रिप्रिजेंटेशन सरकार को मिली है?

चौधरी कटार सिंह छोकर: इस बारे में कोई कम्प्लेंट नहीं आई।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, जब झज्जर की आबादी पच्चीस हजार से कम थी तब तो वहाँ पर हाउस रेंट दे दिया गया लेकिन जब उस फैसिलिटी को विदड्रा कर लिया गया है क्या उस दौरान वहाँ के एम्पलाईज ने हाउस रेंट अलाउंस ड्रा किया था ?

चौधरी कटार सिंह छोकर: जी हां। हाउस रेंट लेते रहे थे।

श्री भागी राम: मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कर्मचारियों की पोलिटीकल आदमियों से जान पहचान होती है वह उनसे मिलकर अपना ट्रांसफर भाहरों में करवा लेते हैं क्योंकि भाहरों में हाउस रेंट मिलता है ? गांवों में कोई भी कर्मचारी नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां पर हाउस रेंट नहीं मिलता मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या गांवों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी हाउस रेंट देने पर रकार विचार करेगी जिससे कि उन कर्मचारियों की हौसलाअफजाई हो सके?

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, किराया देने का उद्दे य यह है कि पच्चीस हजार की आबादी वाले भाहरों में कौस्टली मकान मिलते हैं, किराया ज्यादा देना पड़ता है। यह कोई कंसीड्रे न नही है कि जो एम्पलाईज गांव में पोस्ट किये जायें वे इसलिये न जायें कि वहां पर हाउस रेंट नहीं मिलता।

मास्टर िव प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, पच्चीस हजार या उससे ज्यादा आबादी वाले भाहरों में सरकारी कर्मचारियों को सी0सी0ए0 और हाउस रेंट दिया जाता है। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पच्चीस हजार से कम आबादी वाले भाहरों या

कस्बों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक कमी को पूरा करने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, सी०सी०ए० तो एक लाख की आबादी वाले भाहरों में मिलता है। आर्थिक कमी कोई नहीं होती है। सरकार की जो इस समय पालिसी है वह पच्चीस हजार या उससे अधिक आबादी वाले भाहरों में मकान किराया भत्ता देने की है।

श्री निहाल सिंह: कुछ ऐसे भी मुलाजिम होंगे जो डाक्टर मंगल सैन की कैटेगिरी के हैं जिनका कोई घर नहीं है (हंसी)। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसे कर्मचारियों को भी हाउस रेंट के बारे में सरकार विचार करेगी?

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, ये मेरे बड़े भुभ चिंतक हैं। मुझे भी मकान चाहिए। दो चारपाई वाला नहीं तो एक चारपाई वाला तो अवश्य चाहिए (हंसी)।

श्री अध्यक्ष: अबकवै चन आवर खत्म होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Building of Marketing Board at Rania town

***168. Shri Bhagi Ram:** Will be Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether the building of Marketing Board at Rania town in District Sirsa is under construction; if so, the date on which its construction was started; and

(b) whether it is a fact that the work on the said building remained suspended; if so, the reasons therefor?

कृषि मंत्री (चौधरी सुरेन्द्र सिंह):

(क) जी नहीं। परन्तु नई अनाज मण्डी रानियां में मार्केट कमेटी के लिये कार्यालय कम विश्राम गृह भवन का निर्माण हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा मार्च, 1979 में आरम्भ किया गया था।

(ख) जी हां ठेकेदार की लापरवाही तथा ढील के कारण कार्य स्थगित रहा है।

Soil Testing Laboratory

***157. Shri Ram Bilas Sharma:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to shift the Soil Testing Laboratory from Mohindergarh to some other place in the State; and if so, the reasons therefor?

कृषि मंत्री (चौधरी सुरेन्द्र सिंह): जी हां। महेन्द्रगढ़ में हरियाणा कृषि विविद्यालय, हिसार द्वारा अधिक परिष्कृत क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर दिये जाने के कारण दोहरे

कार्य को बचाने के उद्देश्य से महेन्द्रगढ़ में स्थित कृषि विभाग की उप मण्डलीय भूमि परिक्षण प्रयोगशाला को कालका में स्थानांतरण करने के आदेश दिए गये हैं।

School Building at Sampla

***163. Smt. Basanti Devi:** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the building of the Government High School, Sampla (Hassangarh Constituency) is in a dilapidated condition; and

(b) if so, the place where the children studying in the above said school are likely to be shifted?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा):

(क) जी हां।

(ख) कक्षाओं को अस्थायी रूप में तीन अलग अलग संस्थाओं में चलाने के प्रबंध पहले ही किये जा चुके हैं, क्योंकि सारे स्कूल के लिये योग्य तथा पर्याप्त किराये का भवन तत्काल उपलब्ध नहीं था।

Cooperative Sugar Mill at Kaithal

***276. Chaudhri Nar Singh:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a cooperative Sugar Mill at Kaithal; if so, the time by which the afore said Mill is likely to be set up?

सहकारिता मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह): जी हां। कैथल सहकारी चीनी मिल, कैथल के लिये लाइसेंस लेने का प्रार्थना पत्र भारत सरकार को भेजा जा रहा है। इस अवस्था में कोई मियाद नहीं दी जा सकती है।

Parity to Haryana Government aided schools

***289. master Shiv Prashad:** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether the Government took any decision on 12-6-74 to effect that all aided schools under the Security of Services Act, 1971, will be treated at par with the Government Schools in the matter of pay, D.A. & other facilities provided to them; and

(b) if so, whether that decision is being implemented and if not, the reasons thereof?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा):

(क) जी नहीं, किन्तु सरकारने 12-6-74 को कुछ विशेष अधिनियमों की संरक्षण (हरियाणा एडिड

स्कूलज) सेवा सुरक्षाएक्ट 1971 के अंतर्गत की थी जो कि अराजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों पर लागू होती है।

(ख) उपरोक्त नियमों की पालना अराजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में कर्मचारियों के नियुक्ति कर्ताओं द्वारा की जानी है।

Purchase of Wool from Sheep Owners

***273. Shri Man Phool Singh:** will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to purchase wool from such owners of the sheep as have been given loan for the purchase and rearing of sheep?

नगर तथा ग्राम आयोजना मंत्री (सरदार हरपाल सिंह): लौहारू तथा हिसार में दो ऊन श्रेणीकरण तथा विपणन केन्द्र कार्य कर रहे हैं जोकि भेड़ पालकों, जिसमें ऋण प्राप्तकर्ता भेड़ पालक शामिल हैं, से ऊन खरीदते हैं।

Som Nadi

***319. Chaudhri Bhagmal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that Som Nadi has changed its course during the rainy season of the year 1982 in constituency Sadhaura;
- (b) if so, the details of points where the fore said Nadi changed its course together with the names of the villages affected as a result thereof;
- (c) whether any 'Bunds' are proposed to be constructed to check the change in the course of the said Nadi; if so, the number thereof; and
- (d) whether the construction work has been started on the Bunds as referred to in part (c) above?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामदेर सिसंह सुरजेवाला):

(क) हां।

(ख) सोम नदी ने अपना रुख सढ़ौरा चुनाव क्षेत्र में ग्राम खानुवाला के सामने बदला जिसके कारण ग्राम चिन्तपुर, लोपो, हरौली और खानुवाला को नुकसान पहुंचा।

(ग) हां। बाढ़ ऋतु में गांव की आबादी तथा कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु एक मिट्टी के बांध का पांच तंग आड़ों (Buddy spurs) सहित निर्माण किया गया।

(घ) मौजूदा बांध को मजबूत करने का प्रस्ताव है तथा यदि आव यकता हुई तो कुछ ठोकरे लगाई जायेंगी और जांच पडताल तथा स्कीम की अनुमोदन के उपरांत कार्य आरम्भ भी किया जायेगा।

विभिन्ना विशयों का उठाया जाना

(i) पंजाब नै नल बैंक पलवल मे घोखेबाजी संबंधी

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटें न मों न पलवल के पंजाब नै नल बैंक मे 6 लाख 10 हजार रूपये के फरौड के बारे मे दिया था कि वहां पर बड़ा भारी फरौड हुआ है। इस केस मे प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन इंवाल्वड है। इसी कारण से मुझे यह मामला यहां पर रैफर करना पड़ा है इस बारे मे आपने हमें कुछ बताया नही है।

श्री अध्यक्ष: वह मामला अंडर कंसिड्रे न है। उस बारे मे मैंने रिपोर्ट भी मंगवायी है।

(ii) श्रीमती करतार देवी एम0एल0ए0 द्वारा सांपला विश्राम गृह मे एक महिला के अभिकथित बलात्कार के मामले मे जांच रिपोर्ट देने संबंधी।

डा० भीम सिंह दहिया: श्रीमती करतार देवी जी ने किसी मामले में यहां पर रिपोर्ट देनी थी, इस बारे में मैंने आपसे पिछले हफ्ते बात भी की थी। आपने कहा था कि आप इस बारे में हाउस में बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैंने श्रीमती करतार देवी जी से बात की थी। यह रेष का मामला है। वह इस बारे में जांच करने में हेसीटेट कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप इस काम के लिये किसी और आदमी को नियुक्त कर दीजिये।

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, आप पहले ही इस बात को कह दें।

श्री अध्यक्ष: दहिया साहब, मैं तो सभी मेंबर साहेबान का आदर करता हूँ। ठीक है I will depute some one else.

(iii) एंटी डिफैक्ट इन (हरियाणा) बिल को अस्वीकार करने संबंधी।

श्रीमती चंद्रावती: स्पीकर साहब, मैं एंटी डिफैक्ट इन बिल के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। (गोर)

Mr. Speaker: It has been disallowed on the ground that the object underlying the proposed Bill can in justifiably be achieved though an amendment of the Representation of Peoples Act, 1951.....(Interrptions)

श्रीमती चंद्रावती: स्पीकर साहब, एंटी डिफैक्शन बिल को रि-कंसिडर करने के बारे में आपने हमें एक आ वासन दिया था.....(विघ्न).... स्पीकर साहब, मेहरबानी करके मेरे बिल को रिजैक्ट न करे क्योंकि अगर आपने अपनी रूलिंग दे दी तो यह अपने आप ही रिजैक्ट हो जायेगा। इस लिये मेरीर आप से प्रार्थना है कि यह बड़ा अहम बिल है। आप अपनी रूलिंग रिजर्व रखे और इस बिल को रि-कंसिडर करे, हमे इसी में सबर रखेंगे।

Mr. Speaker: Please take your seat. I am coming to that.

श्री मंगल सैन: स्पीकर सहाब, क्या आप कोई रूलिंग पढ़ रहे है?

श्री अध्यक्ष: हा, मैं एंटी डिफेक्शन बिल के बारे में अपनी रूलिंग दे रहा हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि रूलिंग देने से पहले आप हमें बोलने का मौका दे दे।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको अपने चैंम्बर में सुना था, आप आये भी थे। वहां यह फैसला हुआ था कि एल0आर0 और एडवोकट जनरल की इस बारे में राय ली जाये। मैंने उनसे कंसल्ट करके ही यह रूलिंग देने का फैसला किया है। (तोर एवं व्यवधान) Now let me give my ruling. (Interruptions)

The object underlying the proposed Bill can justifiably be achieved through an amendment of the Representation of Peoples Act, 1951 and/or the Constitution of India and/or by enactment of Central Legislation in this regard. In terms of entry 37, List II Schedule VII of the Constitution of India, the competence of the State Legislature in this regard has been made subject to the provision of law made by the recommendation of the Election Commission of India and in the circumstances, it would not be appropriate to discuss it here.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस बारे में हमारे भी अरागुमेंट्स सुन लें। मैं यह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी रूलिंग को रिजर्व रखें। कई स्टेट असेम्बलीज में यह बिल पास हो चुका है जैसे तामिलनाडु में यह बिल पास हो चुका है और कर्नाटक में पास करने जा रहे हैं। हम स्पीकर साहब, इस बारे में आपको प्रमाण देंगे (गोर व व्यवधान)

आवाजें: स्पीकर साहब, यह बड़ा गम्भीर मसला है।

(इस समय बहुत सारे सदस्य उठकर बोलने लगे)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपकी रूलिंग का सिर्फ इसी प्रदेश में नहीं बल्कि सारे देश में इसका प्रभाव पड़ने वाला है और हरियाणा की विधान सभा पवर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। एक करोड़ 31 लाख हरियाणा की जनता आपके फैसले के बारे में क्या सोचगी ? इसके बड़ी पण्डित निकलेंगे। अच्छा होता अगर आप हमें बुलाकर यह कह दें कि एल0आर0 और एडवोकेट

जनरल ने हमें यह सलाह दी है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं।
स्पीकर साहब आपको पता ही है कि ये 36 चुनकर आये थे और
आज 58 बैठे हैं। (गोर व व्यवधान) अगर यह बिल लागू होता
तो ऐसा नहीं हो सकता था।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, बात यह है कि इलैक्ट्रिक एन
कमिशन की सिफारिशों पर भारत सरकार ने यह मेटरसीज
किया हुआ है, वह इस पर सोच विचार कर रही है। इन हालात में
मैं यह नहीं समझता कि यहां पर इस बिल पर विचार किया जाता
।

श्रीमती चंद्रावती: स्पीकर साहब, आप अपनी रूलिंग तो
रिजर्व रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगर मैं इस पर रूलिंग रिजर्व रखूंगा तो
आपके बिल का क्या बनेगा।

श्रीमती चंद्रावती: अगर आप आज्ञा दें तो हम इस पर
डिसकशन कर सकते हैं और अगले सेशन तक आप अपनी रूलिंग
रिजर्व रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: बहन जी, आप भी तो अगले सेशन में
इसका दोबारा नोटिस दे सकते हैं।

श्रीमती चंद्रावती: स्पीकर साहब, हमारी आपसे बार बार प्रार्थना है कि आप अपनी रूलिंग मत दीजिये । आप इसको रिजर्व रखिये ।

श्री अध्यक्ष: बहन जी, बात ऐसी है कि अब मैं इसको रिजर्व नहीं रख सकता क्योंकि मैं इसकी सूचना आपको भेज चुका हूँ और यह अनाउंस भी हो चुकी है ।

वाक आउट

श्रीमती चंद्रावती: मुझे तो आपके सचिवालय से यह पता चला है कि यह बिल एडमिट हो चुका है । अगर आप हमारी रिक्वैस्ट हो नी मानते तो हम एज एक प्रोटैस्ट वाक आउट कर जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बैठिये मैं अपनी रूलिंग दे चुका हूँ ।

(इस समय विरोधी पक्ष के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गये)

वक्तव्य

उद्योग मंत्री द्वारा मिट्टी के तेल की दोहरी नीति संबधी

श्री अध्यक्ष: दिनांक 11-3-83 को श्री राम विलास भार्मा, एम0एल00 की ध्यानाकर्षक सूचना नम्बर 18 का जवाब देने

के लिये मिनिसटर साहब ने आज का वायदा किया था। वे कृपया अपनी स्टेटमेंट दे।

Industries Minister (Shri Lachhman Singh): The Government of India has introduced dual pricing system for Kerosene Oil w.e.f. 14th/15th February, 1983 (midnight). Under the new schemes, the Government of India will continue to make allocation of Kerosene Oil on the basis of 1982-83 monthly allocations. of the quantity so allocated, 70% will be supplied for distribution at the subsidized prices and the balance 30% will be distributed at notified non subsidized prices. As a result of this dual pricing policy, the State Government has taken the following decisions:-

- (i) The quantum of Kerosene Oil to be supplied per month against each ration card to domestic users shall be decided by each District Magistrate taking into account the availability of Kerosene Oil in his district. This quantum shall be distributed in the ratio of 70:30 of subsidized and non-subsidized Kerosene Oil.
- (ii) Non-subsidized 30% Kerosene Oil is entirely optional and no domestic consumer can be forced to buy it along with the subsidized 70% K.Oil.
- (iii) The domestic consumers having L.P.G. connections shall be supplied non-subsidized Kerosene Oil only. Their ration cards are being stamped to that they may draw their supplies of non-subsidized Kerosene Oil, as per decision of the Government.

(iv) Since 100% Kerosene Oil will be supplied against ration cards/permits, the demand of all commercial establishments/bulk consumers (other than domestic consumer) like hotels, restaurants, dhabas, private hospitals etc. would be met from 30% non-subsidized Kerosene Oil. However, the demand of the students canteens, Govt. hospitals and orphanages would be met like domestic consumers in the ratio of 70:30 of subsidized and non-subsidized Kerosene Oil respectively.

The Ex-dept prices of Kerosene Oil are fixed by the Government of India and the wholesale/retail sale prices of Kerosene Oil both subsidized and non-subsidized are fixed by the District Magistrate in each District. These prices vary from place to place depending upon the road distance involved. Retail prices of Kerosene Oil of subsidized and non-subsidized presently in vogue in the State are as under:-

(i) Subsidized K.Oil = Rs. 1.84 to Rs. 1.99 per litre.

(ii) Non-subsidized K. Oil = Rs. 3.24 to Rs. 3.37 per litre.

Against the State allocation of 10930 Kiloliters, the total upliftment in the month of February, 1983 was 9280 Kilolitres out of which 5600 Kiloliters was received upto 15th February, 1983.

The upliftment of Kerosene Oil from 16th February, 1983 onwards i.e. date of introduction of new scheme has been as under:-

All figures in K. Litres

	Subsidized Oil	Non-subsidized Oil
(i) From 16 th Feb., 1983 to 28 th Feb., 1983	3260	420
(ii) From 1 st March, 1983 to 7 th March, 1983	1258	694

It needs to be mentioned that it is the first time that dual pricing system of Kerosene Oil is being tried in the country. Some difficulties are bound to occur at the initial stages. Even then Kerosene Oil is available in the State and is being issued to the consumers through the retail outlets. It will not be correct to say that neither subsidized nor non-subsidized Kerosene Oil is available in the State. I would like to inform the House that there is a regular flow of subsidized and non-subsidized Kerosene Oil in the State from the three depots of the Oil Companies located at Ambala, Hissar and Shakurbasti. The State Government will keep a strict vigil for proper supply of Kerosene Oil in time. We are already in touch with the Oil Companies to ensure that there does not remain any scarcity of Kerosene Oil in the State.

We are very much keen to safeguard the interests of the poorer sections of the society and this dual pricing policy is intended to protect the interests of this section primarily. It is in this light, and keeping in view the policy of

the Central Government, that 70% of the requirement of the domestic consumers is being met at the subsidized price. Further, instructions have already been issued by the State Government that strict action should be taken promptly against hoarders to cancel/suspend licences and against negligent officials wherever any case of administration. I would like to assure the House that the State Government is fully alive to the situation and would not spare any efforts to keep up the supply of Kerosene Oil in adequate quantity in different districts of the State.

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, मेरे काल अटैं इन मो इन के जवाब मे मंत्री जी ने यह कहा है कि गरीबों की जरूरत को ध्यान मे रखेंगे। मेरा सवाल यह है कि सबसीडाइज्ड और खुला कैरोसीन एक ही दुकान से बिकता है। ऐसा होने से ब्लैक मार्किटिंग के बहुत चांसिज रहते है। क्या सबसीडाइज्ड और खुला कैरोसीन आयल अलग अलग दुकानों के थ्रू लोगों को दिया जायेगा ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, यह पालिसी अभी अभी लागू हुई है। इसको अभी तजुरबे के तौर पर ट्राई किया जा रहा है। अगर इसमे कोई मुि कल नजर आएगी तो दोबारा भी विचार किया जा सकता है।

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, यह जो दोहरी नीति बनी है इससे सबसे ज्यादा मार हरिजना वस्तियों, मजदूर कालोनियों ओर गांव के लोगो को पड़ी है। क्या मंत्री जी के

विचाराधीन कोई ऐसी पालिसी है कि रात के तेल की मात्रा को बढ़ा दिया जाये?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, इस पालिसी के लागू होने से पहले जितना तेल जिलों में कंज्यूम किया जाता था, वहाँ उतनी ही सप्लाई जारी है। हर कंज्यूमर को 1.85 रू० से लेकर 1.90 रू० पर लिटर के हिसाब से तेल मिलेगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बिजली के बिलों को बढ़ा चढ़ा कर चार्ज करने संबंधी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, मुझे चौधरी वीरेन्द्र सिंह, एम०एल०ए० की ओर से इलैक्ट्रीसिटी के हाउली एग्जाग्रेटिड बिल चार्ज करने के बारे में एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस मिला है। मैं इसे एडमिट करता हूँ। अगर चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी अपना मोशन पढ़ दें और मंत्री जी अपनी स्टेटमेंट दे दें।

Shri Verender Singh: I though this Calling Attention notice want to draw the attention of the Government towards a matter of urgent Bass Azamshahpur, Bass Khurd, Badchpur, Mohlla, Puthi and Badhala fall under Sub-division of Mundhal and haryan State Electricity Board. To extract money from innocent farmers and other consumers highly exaggerated bills have been issued by the office of S.D.O Mundhal for the month of January, Those who consumed the

electricity upto billing of rupees 15 to 20 in the past have been billed in the range of Rs. 600 to 800. Those who greese the palm of the concerned officer/official their bills are rectified. About ten thousand consumers hae been affected by this system of corrupt billing. A sample list of few of the consumers indicating the amount of billing with their respective meter Number isbeing attached. This has caused a great resentment in the whole sub-division among the consumers and people are feeling very much agitated. The matter has acquired an urgent public importance and hence, I call the attention of Irrigation and Power Minister to make a statement on the floor of the House.

List of Bass Tehsil Hansi District Hissar.

S. No.	Name	Meter No.	Amount	Remarks
1	2	3	4	5
1	Ranmal S/o Beg Chand	B.S.195	617.20	
2	Chatar Sinnggh	B.S.268	616.75	
3	Muthura	B.S.465	607.60	
4	Bhim Singh	B.S.324	623.50	
5	Mange Ram	B.S.516	618.00	
6	Rup Chand	B.S.360	612.15	
7	Dene Ram	B.S.355	643.50	

8	Balmat Singh	B.S.619	630.50	
9	Jagbir Singh	B.S.526	613.95	
10	Dharam Pal	B.S.90	607.50	
11	Mange Ram	B.S.153	625.85	
12	Balwant Singh	B.S.367	710.00	
13	Tek Chand	B.S.336	707.00	
14	Rattan Singh	B.S.413	619.00	
15	Bharat Singh	B.S.412	605.00	
16	Mahabir Singh	B.S.558	701.00	
17	Bhagwan	B.S.469	617.10	
18	Rajbir	B.S.588	618.55	
19	Tara Chand	B.S.443	615.30	
20	Banarshi Datt	B.S.541	631.82	
21	Budh Ram	B.S.539	612.66	
22	Umed Singh	B.S.612	608.50	
23	Nafe Singh	B.S.429	700.00	
24	Risal Singh	B.S.500	611.80	
25	Nafe Singh	B.S.544	631.00	
26	Jogi Ram	B.S.222	636.00	

27	Ramesh Chand	B.S.333	616.40	
28	Bhal Singh	B.S.377	612.75	
29	Kashi Ram	B.S.269	606.24	
30	Sube Ram	B.S.272	619.00	
31	Debi Ram	B.S.322	689.00	
32	Ramfal	B.S.528	700.00	
33	Rati Ram	B.S.464	612.60	
34	Jogi Ram	B.S.531	622.50	
35	Bhale Ram	B.S.438	611.70	
36	Puran Chand	B.S.181	640.24	
37	Pirthi Singh	B.S.466	609.30	
38	Ujir Singh	B.S.451	619.00	
39	Munshi Ram	B.S.499	614.00	
40	Munshi Ram	B.S.442	606.00	
41	Nafe Singh	B.S.477	643.05	
42	Neki Ram	B.S.353	629.82	
43	Manful Singh	B.S.418	705.54	
44	Bhal Singh	B.S.377	612.75	
45	Nathu Ram	B.S.125	622.40	

46	Ram Chander	B.S.414	593.64	
47	Balmat Singh	B.S.282	610.90	
48	Rangbir Singh	B.S.409	609.00	
49	Ram Kumar	B.S.223	614.00	
50	Richpal	B.S.431	621.50	
51	Darya Singh	B.S.143	612.81	
52	Jora Singh	B.S.498	610.90	
53	Surpa	B.S.	616.00	
54	Tek Ram	B.S.352	608.55	
55	Rathu Ram	B.S.436	629.03	
56	Mashudi	B.S.305	653.18	
57	Ramfal	B.S.508	618.10	
58	Jage Ram	B.S.509	614.50	
59	Mange Ram	B.S.475	705.00	
60	Bhak Chand	B.S.517	631.30	
61	Balwan	B.S.527	612.15	
62	Vejae	B.S.49	606.27	
63	Hawa Singh	B.S.103	707.00	
64	MadanLal	B.S.188	167.20	

65	Neki Ram	B.S.338	31.10	
66	Balwan	B.S.386	610.80	
67	Ratan Singh	B.S.484	648.06	
68	Ramfal	B.S.275	701.00	
69	Mange Ram	B.S.142	43.00	
70	Ajit Singh	B.S.523	627.00	
71	Fate Singh	B.S.271	610.75	
72	Dalip Singh	B.S.603	37.00	
73	Rattan Singh	B.S.319	612.90	
74	Maya Chand	B.S.62	701.00	
75	Tirath	B.S.530	606.00	
76	Bhikhu Ram	B.S.462	649.41	
77	Rajander	B.S.577	608.40	
78	Jora Singh	B.S.602	660.30	
79	Rameshar Dat	B.S.410	828.50	
80	Amir Singh	B.S.100	617.65	
81	Bhal Singh	B.S.563	609.01	
82	Capt. Mahander Singh	B.S.432	611.65	

83	Om Parkash	B.S.350	700.00	
84	Jaidewa	B.S.373	609.00	
85	Chandgi	B.S.468	616.00	
86	Moji	B.S.335	614.00	
87	Tirath	B.S.448- A	710.00	
88	Ajit Singh	B.S.365	614.65	
89	Mehr Singh	B.S.154	607.90	
90	Baru Singh	B.S.453	49.77	

वक्तव्य

सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Before I give details of the cases of specified consumers in villages under Mundhal Sub-Division of the Board for their being billed for amounts more than their normal monthly bills, I will be failing in my duty, if I do not state that the accusation made by the hon'ble member, is incorrect and an exaggerated version of the facts. The hon'ble Member has mentioned that about 10000 consumers of 8 villages have been issued highly exaggerated bills. The fact however is that total number of consumers in Mundhal Sub-division as on 31-1-83, is only 6761. Further

facts are that there are 51 villagers included in the jurisdiction of Mundhal Operation Sub-Division. The villagers Bass comprises of 4 Basties which are named individually by the hon'ble Member in his notice and in Addition there are 3 more villagers, there are only 226 consumers form these four villages who were issued bills for higher amounts over their normal bills for the reason that such consumers wee detected to have made unauthorised extensions of loads at their premises. The total number of such consumers in whole of the Sub-Division in 347. This number was detected out of 6761 consumers (category-wise split-up as given below) which falls under the Operattion Sub-Division.

Industrial	210
Agriculture	369
Commercial	184
Domestic	5934
Others	64
Total:	6761

Locality-wise total number of connections and number of consumers who were issued excessive bills is as under:

Sr. No.	Village	No. of domestic	No. of consumers issued excessive

		connections	bill
1.	Bass	590	146
2.	Mohalla	190	34
3.	Puthi	229	46
4.	Dhana Khurd	150	29
5.	Alakh Pura	150	49
6.	Rampura	70	14
7.	Garhi	124	29
		1503	347

Out of these 347 consumers, only 226 consumers belong to the villages which have been named by the honorable Member in his Call Attention Notice.

Coming to the alleged excessive charges, it is clarified that these charges were made on account of unauthorised loads which were detected at the premises of such consumers. Hon'ble Members would agree that unauthorised load connected to the Board's installations is highly dangerous and exposes the costly equipment to the risk of total damage. In this case also a transformer of 100 KVA in village Bass costing Rs. 18000 approx, got burnt in 1/83 as a result of unauthorised load put only by the consumers themselves without authorisation or even intimation of the Board authorities while another transformer of 53 KVA the

coast of which is approximately Rs. 14000 got burnt in village Mohalla in 11/82. Further some of the meters installed at the premises of the consumers to record energy consumption get burnt as a result of such unauthorised extensions. It was, therefore, highly imperative that suitable action is taken to curb such mal practices.

Coming to the assessment of additional amount, I am to state that, such assessment followed detection of unauthorised two BHP single phase motors installed by the consumers in their houses for grinding of flour and running chaffcutter.

The Board took notice of the growing practice of unauthorised extensions by the consumers and issued instructions in May, 1982 for recovering from consumers additional charges as the unauthorised extension has adverse effect on the installation/supply system. Under these instructions, extra loads of the consumers who voluntarily disclosed the extent of extension were to be regularized. The consumers, has to pay additional charges for back period of 6 months and also deposit additional security so far as agricultural and industrial connections were concerned. In respect of domestic consumers, the loads were to be regularised after deposit of additional security by the consumers for the enhanced loads. Regularisation of load in terms of these instructions was allowed upto the end of June, 1982. For any case, where the prescribed action was not taken by end June, 1982 the consumption of the consumers was to be billed at double of his normal tariff in addition to enhanced one. The dates of voluntary disclosure were extended by the Board first

upto 31-7-1982, and lastly in respect of industrial and flat rate tubewell connections upto 15-11-1982. The voluntary disclosure in response to subsequent extension of date were allowed to be regularised after payment of additional charges at the rate of Rs. 35 per BHP per month. Where loads were not disclosed, the rate of Rs. 50 per BHP per month was made applicable. While investigating the burning of the above mentioned transformers in the villages, the Sub-Divisional staff started detailed checking of loads and detected 2 H.P. motors un-authorizedly installed by consumers as explained earlier. The SDO treated the motive load as agricultural/industrial and levied charges at Rs 50 per H.P. per month for a back period of 6 months. Thus, the consumers with unauthorised load were charged in the bills Rs. 600/- in addition to the normal consumption bills.

In this connection, I am to further inform the honorable Members that due publicity to the instructions of the Board on the subject was given from time to time. As a result of this, total of 231 consumers, village-wise details as follows got their load regularised.

Sr. No.	Village	No. of unauthorised regulations upto 15.15.82
1.	Bass	111
2.	Mohalla	15
3.	Puthi	25

4.	Dhana Khurd	8
5.	Alakh Pura	61
6.	Rampura	
7.	Garhi	11
		231

Out of 231 consumers, 11 consumers belong to village Bass.

The additional charges were levied upon the consumers, in the bills dated 24/25-1-83. Large number of consumers made representations to the Xen. (OP) Divn. Hansi against the abnormally high bills. The Xen, on examining the bills pointed out to the SDO that in the assessment of the charges, the instructions of the Board governing such cases has not been followed correctly as the unauthorised extension were on domestic connections, the consumers were liable to be charged enhanced security for the additional load and in addition their consumption was to be billed on double the tariff as applicable to domestic supply. He further advised the SDO to over-haul accounts of the affected consumers accordingly.

The SDO has accordingly withdrawn the charges incorrectly levied by him. The accounts of all the 226 consumers have to be overhauled afresh keeping in view the instructions of the Board. It should thus be seen that the local

officer is already taking necessary action in the light of the instructions issued and the corrected bills are being rendered to the concerned consumers within the current month.

I would like to assure the House that there is not even the remotest intention of the Board to over charge any consumer muchless the farmer consumers who are being supplied electric power at subsidised rates, for the tubewells.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने मेरे काल अटें इन मो इन का जवाब देते हुए यह माना है कि वहां के एस0डी0ओ0 ने इन करैक्ट बिलिंग की है ओर अब उसने उन बिलों को विदड्रा कर लिया है तथा नए सिरे से बिल तैयार करके कंज्यूमर्ज को दिये जा रहे है । जो इन करैक्ट बिलिंग की गई है उसमे बोर्ड का कोई फाल्ट नही है वह रौंग बिलिंग एस0डी0ओ0 ने की है । उन बिजली के बिलज मे से कुछ बिलज उसने गलत तरीके से पैसा चार्ज करके ठीक भी कर दिये है । लेकिनजिन लोगो ने उस बारे मे विरोध किया, उन सबके बिलजी के कनैक् इन काट दिये गये । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगो के बिजली के कनैक् इन काट दिये गये है क्याउनके कनैक् इन दोबारा जल्दी से जल्दी रैस्टोर कर दिये जायेंगे?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, जहां इस बात का ताल्लुक है कि एस0डी0ओ0 ने गलत तरीके से पैसे चार्ज करके लोगो के बिल ठीक कर दिये है, यह बात माननीय

सदस्य ने अपने काल अटैं इन मो इन केनोटिस मे नही पूछी है। अगर ऐसी बात है तो वे लिख करके हमारे नोटिस मे लाएं हम जरूर एक इन लेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह कहा है कि वहां पर लोगों के बिजली के कनेक्ट इन काट दिये गये है अगर ऐसी बात है तो उनके बिजली के कनेक्ट इन दोबारा अव य जोड़ दिये जायेगे। मैं हाउस मे जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल सैक्टर और इंडस्ट्रीयल सैक्टर मे जहां पर भी अनअथोराइज्ड तरीके से एक्सटैं इन ली गई थी, वहां पर बिजली कानैक्ट इन डिस कनेक्ट अव य हुआ था और जिन लोगो ने अन अथोराइज्ड तरीके से बिजली की एक्सटैं इनली थी, उनसे 50 रूपये पर मंथ के हिसाब से एडी इनल बिल चार्ज किये गये थे और उनकी सिक्वॉरिटी ले ली गई थी। जो डोमोस्टिक सैक्टर है उस मे किसी भी जगह पर लोगों से ज्यादा बिल चार्ज नही किये गये है। उन गांवो मे उस एस0डी0ओ0 ने उन लोगो के बिजली के बिलों मे एग्रीकल्चरल सैक्टर के हिसाब से 50 रूपये एडी इनल एड कर दिये थे अब उसने वे सारे बिल विदड्रा कर लिये है और नए बिल बना दिए गये है। अगर उन गांवो मे किसी का बिजली का कनेक्ट इन डिसकनेक्ट किया गया है तो वह दोबारा कनेक्टरक दिया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, गांवों मे बिजली बोर्ड बपनी इनस्ट्रूक् ांज की पब्लिसिटी के लिये जो इि तहार आदि फैंकता है उनको गांव के लोग आम तौर पर नही पढ़ते है जिसके

कारण उनको बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पब्लिसिटी के लिये इति तहार आदि फैंकने की बजाय कोई दूसरा ढंग निकाल जायेगा? जिसके द्वारा किसानों को बिजली बोर्ड की इन्स्ट्रक्शन की पूरी तरह से जानकारी हो सके और उनको बाद में नुकसान न उठाना पड़े। इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या रौंग बिलिंग के बारे में बिजली बोर्ड कंज्यूमर्स को कोई नोटिस देगा कि तुम्हारे खिलाफ ये ये शिकायतें, तुम इन शिकायतों को दूर करो वरना तुम्हारे ऊपर डबल या ट्रिपल बिलिंग होगी। क्या आयंदा के लिये बिजली बोर्ड कंज्यूमर्स को इस बारे में कोई नोटिस देने का प्रोवीजन करेगा?

चौधरी भामदेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड को जो वालेंटरी डिसकलोजर की स्कीम थी उसके बारे में न्यूज पेपर द्वारा और गांवा में इति तहार आदि फैंकवा कर वाईड पब्लिसिटी दी गई थी। मैं अम्बाला ग्रिवेंसिज कमेटी की मीटिंग में गया था उस मीटिंग में लोगों से मुझे यह शिकायत मिली कि बिजली बोर्ड की इन्स्ट्रक्शन के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है और बिजली बोर्ड की इन्स्ट्रक्शन पब्लिश हुए काफी समय गुजर चुका है। मैंने लोगों से यह शिकायत सुनने के बाद बिजली बोर्ड के चेयरमैन साहब से इस बारे में बात की और मैंने कहा कि आप बिजली बोर्ड की इन्स्ट्रक्शन रेडियो पर 10-15 दिन के लिये देहाती प्रोग्रामों में दोबारा रीपीट करवाएं

ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमने वरनैकुलर पेपरज में दोबारा पब्लिसिटी की और डेट एक्सटेंड की। जहां तक नोटिस देने की बात है कि जो अन अथोराइज्ड एक्सटेंशन करता हुआ पकड़ा जाये उसको नोटिस दिया जाये, इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि अन-अथोराइज्ड एक्सटेंशन के बारे में जो चार्जिज होते हैं, वे बिजली के बिल में भी लगा कर के भेजते हैं। इसके अलावा अन-अथोराइज्ड एक्सटेंशन की इंस्पैक्ट अन आदमी की मौजूदगी में की जाती है और उस आदमी को यदि कोई एक्सप्लेनेशन देनी होती है तो वह उसी वक्त लिख करके या जुबानी दे सकता है। दूसरी बात यह भी है कि जब उस आदमी के पास बिजली का बिल भेजा जाता है उस समय भी वह एतराज कर सकता है कि यह इन-फ्लेटिड बिल है। स्पीकर साहब, मैं यह बताना चाहूंगा कि उस एस0डी0ओ0 ने कोई बेईमानी नहीं की थी, बल्कि गलती की थी उस गलती के कारण उसका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि वहां के किसानों को कोई दिक्कत न हो।

श्रीमती करतार देवी, एम0एल0ए0 द्वारा सांपला विश्राम गृह में एक महिला के अभिकथित बलात्कार के मामले में जांच रिपोर्ट देने संबंधी (पुनरारम्भ)

श्रीमती बंसती देवी: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि श्री आनन्द भार्मा कांग्रेस के वर्कर ने इसलिये उस मामले मे उस औरत को बदचलन बता कर केस बंद कर दिया गया, जिसके साथ उसने बलात्कार किया था। यदि आनन्द भार्मा की जगह कोई लोक दल का वर्कर होता तो इन्होंने उस औरत को अबला बता कर वर्कर को कोई न कोई सजा जरूर दे देनी थी। (गोर एंव विघ्न) स्पीकर साहब, कितने अफसोस की बात है कि करतार देवी ने भी यह कह दिया कि वह इस मामले की जांच नहीं कर सकती। (गोर)

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। बहन जी, उन्होंने अपनी बात कहते हुए रेप का जिक्र किया है। (गोर) मैं किसी की डियूटी लगा दूंगा।

श्रीमती बंसती देवी: यदि करतार देवी मे हिम्मत नहीं है तो मेरी डियूटी लगा दे या किसी और की डियूटी लगा दे।

श्री मंगल सैन: बहन करतार देवी ने जो बात कही है, उसको आप एक बार हाउस के नोलेज मे ला दे।

श्री अध्यक्ष: डा0 साहब, करतार देवी जी ने यह कहा है कि यह केस रेप का है इसलिये मैं एक औरत होते हुए वहां पर जाकर ब्यान वगैरा कैसे ले सकूंगी। and expressed her inability to conduct the enquiry.

श्रीमती बंसती देवी: स्पीकर साहब, मैं पुलिस की बड़ी ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने उस औरत पर यह इल्जाम नहीं लगाया कि उसने आनन्द भार्मा का रेप किया था। (गोर) स्पीकर साहब, आप कब तक वह इन्कवायरी करवा लेंगे ?

Mr. Speaker: Within 15 days I will get it enquired.

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के अभिभाषण का जवाब देते हुए मुख्य मंत्री महोदय ने आ वासन दिया था कि जो ट्यूबवैल 80 फुट की गहराई पर लगे है उनके बिजली के रेट कम करके मंगलवार को बता दूँगे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि मंगलवार को इस संबंध में एक मीटिंग बुलवाई हुई है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि वह मीटिंग अब भी स्टैण्ड करती है।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: मੈबर साहेबान अब मैं विभिन्न कार्यों के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा नियत किये गये टाईम टेबल की रिपोर्ट पे 1 करता हूँ—

“The Committee met at 4.30 P.M. on Monday, the 14th March, 1983, in the Chamber of the Hon’ble Speaker.

The Committee, after some discussion recommended that the Business on 15th, 16th, 17th, 18th,. 21st, 22nd, 23rd. 24th and 25th March, 1983, be transacted by the Sabha as follows:-

Tuesday, the 15 th March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation and adoption of the Second Report of the Business Advisory Committee.
	3.	Papers to be laid on the Table of the House.
	4.	Discussion and Voting on Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1982-83.
Wednesday, the 16 th March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	General discussion on Budget for the year 1983-84.
Thursday, the 17 th March,	1.	Questions Hour.

1983 (9.30 A.M.)		
	2.	Non-official Business.
Friday, the 18 th March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Resumption of General Discussion on Budget for the year 1983-84 and the reply by the Finance Minister.
Saturday, the 19 th March, 1983	Off Day	
Sunday, the 20 th March, 1983	Holiday	
Monday, the 21 st March, 1983 (2.00 P.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Leave to introduce and introduction of Government Bills.

	3.	Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget.
Tuesday, the 22 nd March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget.
Wednesday, the 23 rd March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	The Haryana Appropriation Bill 1983 in respect of Budget.
	3.	The Haryana Appropriation Bill, 1983 in respect of the Supplementary Estimates (Second Instalment) 1982-83
	4.	The Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, 1983 alongwith in resolution of disapproval of the Ordinance given by Shri Mangal Sein.

	5.	The Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill, 1983 alongwith the resolution of disapproval of the Ordinance given by Shri Mangal Sein.
	6.	The Punjab Ayurvedic and Unani practitioners (Haryana Amendment) Bill, 1983.
Tuesday, the 24 th March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation of Reports of Assembly Committees and papers to be laid on the Table of the House, if any.
	3.	Non-official Business.
Friday, the 25 th March, 1983 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Motion under rule 15 regarding non-stop sitting.
	3.	Motion under rule 16 regarding adjournment of the Sabha

		sinddie.
	4.	Presentation of Reports of Assembly Committees and papers to be laid on the Table of the House, if any.
	5.	Official Resolution regarding raising the limit of loans by the Haryana State Electricity Board from Rs. 250 crores to Rs. 400 crores.
	6.	<p>Legislative Business</p> <p>(1) The Haryana Forest Development Bill, 1983 alongwith the resolution of the dis-approval of the Ordinance given by Shri Mangal Sein.</p> <p>(2) The Maharshi Dayanad University Bill, 1983 alongwith the resolution of the dis-approval of the Ordinance given by Shri Mangal Sein.</p>
	7.	<p>Discussion on Motions under Rule 84</p> <p>(1) "That the policy in regard to</p>

		<p>Tripartite talks relating to the Territorial disputes, and River Water issue and the stand taken by the State Government in this behalf, be discussed.” (Notices given by Shri Mangal Sein and Shri Hira Nand Arya).</p> <p>(2) “That the day-to-day postponement of construction of Sutlej Yamuna Link canal in the Punjab Territory be discussed.” (Notices given by Shri Hira Nand Arya).”</p> <p>(3) “That the Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980, which was laid on the Table of the House on the 9th March, 1983 be discussed.” (Notices given by Shri Mangal Sein M.L.A.).”</p>
--	--	---

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Speaker Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business advisory committees.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की सैकिण्ड रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के साथ सहमत है।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, कल बजट के पे 1 हो जाने के बाद आपने अपने चैम्बर में बी0ए0सी0 की मीटिंग बुलवाई थी। उस कमेटी के मैनबर सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जी, पार्लियामेंट एफेयरज के मिनिस्टर और श्री हरपाल मीटिंग के समय भी कहा था कि विधान सभाके चुनाव के बाद पहली बार हम बजट सेशन में इक्कठे हुए हैं। पहली बार उन्होंने दो दिन का सेशन बुलाया फिर तीन दिन का सेशन बुलाया था। अब भी ये 15 सीटिंगे करके ही सारा काम खत्म करना चाहते हैं। स्पीकरसाहब, इनको उस समय तो डर था लेकिन अब किस चीज का डर है ? स्पीकर साहब, जितने भी मैनबर यहां पर हैं उनका हरियाणा की एक करोड़ तीस लाख जनता के साथ सीधा संबंध है। जनता की कठिनाईयों को उन्होंने यहां पर कहना है और यही एक ऐसा फोरम है जहां पर प्रत्येक सदस्य अपनी भिन्न भिन्न बातें रख सकता है। स्पीकर साहब, यह तीन हफ्ते का समय बहुत कम है। जिस समय पहली बार हम 7 तारीख को इक्कठे हुए थे उस समय भी मैंने कहा था कि समय बहुत कम है। आप समय बढ़ा लें। उस समय

सी०एम० साहब ने कहा था कि गवर्नर एड्रेस के बाद बड़ा लेंगे। अब मुख्यमंत्री महोदय अपनी प्रणि के अनुसार कह देंगे कि मैंने ऐसा नहीं कहा। क्योंकि जो ये बातें कहते हैं, वह सभी सच्च होती है। और हमारी तरफ से यानी अपोजी इन की तरफ से जो बातें कही जाती हैं, वे सभी झूठी होती हैं। स्पीकर साहब, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हाउस के अंदर प्रत्येक मੈबर अपनी अपनी बात कह सके। हाउस में ही किसी बात पर खुले रूप से चर्चा की जा सकती है। यह अलग बात है कि इनको चर्चा पसंद नहीं है। पहली बार जब सै इन बुलाया गया था उस समय तो मार्जन बहुत कम था बाद में इन्होंने परचेज से ब्रूट मैजोरिटी कर ली। (गोर) स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूँ कि यह दुराग्रह छोड़ दें। आपको कोई खतरा नहीं है। आपके पास बहुमत है। ऐसी जल्दी क्यों है ? अगर आप दो दिन के लिये सदन में और बैठ जायेंगे तो कौन सी मुसीबत आने वाली है। स्पीकर साहब, आप पिछला रिकार्ड देख लीजिये। बजट पर जनरल डिस्क इन के लिये दो दिन से ज्यादा टाईम मिलता रहा है। इनका यह कहना यह है कि गवर्नर एड्रेस पर जो कुछ कहा जा चुका है, इतना ही काफी है इसका मतलब तो यह हुआ कि आप के लिहाज से असैम्बली बैठनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो प्राईम मिनिस्टर से इतना सं गोधन करवा दीजिए कि एक बार जो मुख्य मंत्री बन गया वह आजीवन मुख्य मंत्री बना ही रहेगा। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूँ कि सै इन के

लिये कम से कम दो दिन की एक्सटेंशन मिलनी चाहिए ताकि हम अपनी बात खुल कर हाउस में कह सकें।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौद): स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने जो कुछ कहा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट सदन के सामने आई है, इसको देखने से पता चलता है कि अजट पर डिस्कान करने के लिये दो दिन भी नहीं रखे गये। आप देखें, साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे तक क्वैचन आवर होता है, आधा घंटा काल अटेंशन एडमिट करने और रिप्लाय देने में लग जाता है। इस तरह साढ़े 11 बज जाते हैं। साढ़े 11 बजे से डेढ़ बजे तक कुल दो घण्टे मिलते हैं बजट पर डिस्कान करने के लिये और 18 तारीख को फिनांस मिनिस्टर साहब ने इस बहस का जवाब देना है। इसका मतलब यह हुआ कि सारे हाउस को बजट पर डिस्कान करने के लिये केवल 3 घंटे ही मिलेंगे। ये तीन घण्टे उस बजट पर डिस्कान करने के लिये मिले हैं। जिसमें फिनांस मिनिस्टर साहब ने करोड़ों रुपये के टैक्स लगाए हैं। कुछ टैक्स तो इन्होंने कल की स्पीकच करते हुए लगाये, कुछ मोटर भाड़े खो चढ़ाने की भावना में लगाये और कुछ बिजली दर बढ़ाने की भावना लगाये हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन सारी चीजों पर डिस्कान करने के लिये केवल तीन घंटे मिलते हैं जबकि हर मੈबर अपने हिसाब से अपनी बात हाउस में कहना चाहता है। यह कहना कि पार्टी लीडर बोल लेंगे या दो चार मੈबर और बोल लेंगे, कहां तक उचित है।

हर माननीय सदस्य अपने हिसाब से अपनी कंट्रीच्यू इन करना चाहता है। इसलिये मेरी आप से गुजारि है कि तीन घंटे बजट पर डिस्क इन के कलये बहुत कम है। यह डिस्क इन नहीं के बराबर है। मुझे हैरानी है कि सरकार इतनी भाग दौड क्यों कर रही है, यह बात मुख्यमंत्री जी की मेरी समझ मे नहीं आती। इसके अलावा एंटी डिफैक्ट इन बिल पर भी डिस्क इन होनी थी। इस हिसाब से तो उस पर डिस्क इन हो नहीं पायेगी। इसके अलावा डिमांडज पर डिस्क इन के लिये 2 दिन दिए गये है। बजट मे कम से कम 35-36 डिमांडज होती है। ये डिमांडज बेरियस डिपार्टमेंट्स की होती है और इन डिपार्टमेंट्स मे बहुत सी कमियां है, बहुत से लूप होल्ज है ओर इन कमियों को सदन के सामने लाने के लिये सब सदस्य बोलना चाहेंगे। 23 तारीख और इसके बाद जो आईटम्ज टेक अप की जायेगी, उन पर दस दस मिनट भी प्रत्येक आईटम को नहीं मिलते । 24 और 25 तारीख को वर्क बहुत ही ओवर लोडिड हो गया है। इस तरह एक आईटम को 10 मिनट भी नहीं मिलेंगे। इसलिये मेरी दरखवास्त है कि सिटिंग आफ दी हाउस कम से कम दो दिन के लिये एक्सटेंड की जाये। डा0 साहब ने दो दिन की एक्सटें इन का सुझाव दिया था लेकिन मैं कहता हूं कि अगर फ़ैयर डिस्क इन करनी है तो कम से कम एक हफता के लिये हाउस एक्सटेंड कर दिया जाये।

श्रीमती चंद्रावती (बाढड़ा): जनाब स्पीकर साहब, हम अपनी बात और अपनी राय पहले ही कमेटी के सामने जाहिर कर

चुके है। जो कुछ मेरे साथी ने कहा है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। आप देखे, एप्रोप्रिए इन बिल, 23 तारीख को रखा है और उस दिन कितना क्राउडिड बिजनैस है ? इस बिल के लिये कम से कम एक दिन यानी चार घंटा भी नहीं मिलेगा। स्पीकर साहब, आप खुद ही इस बात पर विचार कीजिए। यहां तक नाम अफि टायल डे के रैजोल्यू इन का ताल्लुक है, हमारे साथियों के साथ साथ ट्रेजरी बेंचिज के सदस्य भी बार बार इस पर बोल रहे है और आने वाले नान अफि टायल डे को ये भी बोलेंगे क्योंकि इसलिये मेरा कहना यह है कि अगर दो दिन के लिये हाउस एक्सटैंड कर दिया जाये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होली के बाद दो दिन के लिये सै इन कर लीजिए। मुख्य मंत्री जी की तबीयत खराब है, छुट्टियों मे इनको आराम मिलेगा। इसलिये यह टाईम बहुत थोड़ा है, करोड़ों रूपये के बजट पर बहस करने के लिये 4 घंटे भी मिल रहे । इसके अलावा सप्लीमेंटरी डिमांड्स और बिजली बोर्ड की आईटम दोनों एक साथ ही रख दी है। बिजली बोर्ड वाली आईटम पब्लिक के लिये बहुत महत्व रखती है। एक बोर्ड बना रखा है जिसमे करोड़ों रूपये की हेरा फेरी है, इस पर बहुत से मँबर बोलना चाहेंगे। इसलिये स्पीकर साहब, हमारी आपसे गुजारि 1 है, प्रार्थना है और सबमि इन है कि सै इन को दो दिन के लिये एक्सटड कर दिया जाये, यह टाईम थोड़ा है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग

में जो कुछ हमने कहा और इन्होंने जो विचार रखे, वह आप के सामने की बात है। मैं उन दलीलों को रिपीट नहीं करना चाहता। स्पीकर साहब, 25 तारीख के बाद लगभग एक हफते की छुट्टियां हैं इनका यह कहना कि एक हफते के बाद दो दिन के लिये हाउस को बुला लिया जाये, इसका मतलब यह है कि स्टेट पर बड़ा भारी खर्चा पड़ेगा। जो मैंबरतीन हफते से यहां हाउस में बैठे हैं। उनको भी अपनी कांस्टीच्यूएंसीज में जाकर लोगों को टाईम देना चाहिए। इसके अलावा मुख्य मंत्री महोदय ने सरकार की तरफ से इनको परसुण्ड करने की कोशिश की थी कि अगर वाकई ही ये डिस्कशन के लिये ज्यादा टाईम चाहते हैं तो सरकार को कोई एतराज नहीं है इसके लिये एक प्रपोजल यह थी कि 17 तारीख को जो नान आफिशियल डे है, उसको आफिशियल डे में कन्वर्ट कर लिया जाये क्योंकि जो प्रस्ताव नान आफिशियल डे को डिस्कस होना है वह भी हमारी ही सदस्यों का प्रस्ताव है। दूसरी प्रपोजल यह थी कि 19 तारीख को सिटिंग कर ली जाए और तीसरी प्रपोजल यह थी कि 26 तारीख को हाउस की पूरे दिन की सिटिंग कर कली जाये। ये तीन प्रपोजल यह थी कि 26 तारीख को हाउस की पूरे दिन की सिटिंग कर ली जाये। ये तीन प्रपोजल थी, सरकार इसके लिये तैयार थी और आज भी तैयार है, लेकिन इन तीनों बातों को हमारे आदरणीय मेंबरज ने माना है। इसका मतलब यह हुआ कि हाउस की फरदर एक्सटेंशन के लिये मेंबर नहीं चाहते। इन के मुंह से "मैं न मानू, मैं न मानू" की बात निकल गई है। अगरये इस बात के लिये सीरियस है कि

डिस्कान के लिये ज्यादा टाईम चाहिए तो आप ये तीनों दिन बे तक युटिलाईज कर ले। इसके अलावा स्पीकर साहब आपने यह भी कह दिया था कि 25 तारीख को सिटिंग का टाईम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं माने। इससे यह बात क्लीयर है कि आगे सै कान एक्सटेंड करने का सवाल नहीं है। आज भी अगर ये चाहे तो इन तीनों प्रपोजलज में से कोई प्रपोजल मान जाये। अंत में मैं हाउस से दुरखास्त करूंगा कि इस रिपोर्ट को एडॉप्ट कर लिया जाये।

वाक आउट

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने आल्ट्रानेटिव प्रपोजलज दी थी और हम ने सबिमि कान की थी कि हमने पब्लिक सर्विस कमी कान की रिपोर्ट पर और मो कान अंडर रूल 84 पर बोलना है और इस के लिये तैयारी भी करनी होती है। इनको तो तैयारी की जरूरत नहीं क्योंकि इसके पास स्टाफ है, सैक्रेटरीज है और प्राईवेट सैक्रेटरीज है, जो सारी काम कर देते हैं, लेकिन हमें खुद तैयारी करनी पड़ती है। इसलिये इनकी बात को हमने स्वीकार नहीं किया। स्पीकर साहब, 25 तारीख के बाद तीन दिन की छुट्टी है और हमने इनको कह कि नैक्स्ट वीलक आराम से बोल सकेंगे। इन्होंने एक फारैस्ट डिटैल्पमेंट बोर्ड बनाया है जिसके लिये ये हमसे लाखों रूपये की

सैव उन मांग रहे है । इन्होंने लाखो रूपये खर्च करने के लिये फारैस्ट डिवैल्पमेंट बोर्ड को तो दिए है लेकिन मैंबरो को कुछ रूपये भी देने के लिये तैयार नही है । मैम्बर्ज को जनता ने चुन कर भेजा है । हम यहां पर पब्लिक की बात कहने के लिये है, इसलिये आपको और समय देना चाहिए । हम ही यहां पर पब्लिक की ग्रीवैन्सिज रख सकते है । (विघ्न)

Mr. Speaker: No I will put the motion to the vote of the House.

(At this stage all the Members of the opposition staged a walk-out.)

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की सैकिण्ड रिपोर्ट मे दी गई सिफारि गो के साथ सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सदन की मेज पर रखे गए कागज—पत्र

श्री अध्यक्ष: अब एक मुत्री साहब, टेबल पर कागज—पत्र ले करेंगे ।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir I beg to lay on the Table of the House—

1. The 14th Annual Report and Accounts of Haryana Financial Corporation for the year 1980-81, as required under sub section (3) of section 38 of the State Financial Corporation Act. 1951.
2. The 15th Annual Report and Accounts of Haryana Financial Corporation for the year 1981-82, as required under sub section (3) of section 38 of the State Financial Corporation Act. 1951.
3. The 13th Annual Report and Accounts of Haryana State Smal Industries and Export Corporation Ltd. for the year 1979-80, as required under section 619(a) of the Comapnies, Act. 1956.
4. The 14th Annual Report and Accounts of Haryana State Smal Industries and Export Corporation Ltd. for the year 1980-81, as required under section 619(a) of the Comapnies, Act. 1956.
5. The statement showing the loand raised by the Haryana State Electricity Board upto 15-1-1983 for which the State Government have stood guarantee for repayments under section 66 of the Electricitiy (Supply) Act, 1948.
6. The Annual financial Statement (Budget Estimates) of Haryana State Electricitiy Board for the year 1982-83, as requird under Section 61 of the Electricitiy (Supply) Act. 1948.

7. The Annual Administration Report of Haryana State Electricity Board for the year 1988-81, as required under Section 75(1A) of the Electricity (Supply) Act. 1948.
8. The Annual Statement of Accounts of Haryana State Electricity Board for the year 1978-79, as required under Section 69(4) & (5) of the Electricity (Supply) Act. 1948.
9. The Annual Administration Report of Haryana State Electricity Board for the year 1979-80, as required under Section 75(i) of the Electricity (Supply) Act. 1948.
10. The Annual Statement of Accounts of Haryana State Electricity Board for the year 1979-80, as required under Section 69(4) & (5) of the Electricity (Supply) Act. 1948.

**वर्ष 1982-83 के लिये सप्लीमेंटरी के लिये
सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान**

**(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर
चर्चा**

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण अब वर्ष 1982-83 की सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स (सैकिंड इन्स्टालमेंट) पर डिस्कान होगी।

जो मंबर साहेबान चार्ज्ड आइटम्ज पर डिस्कान करना चाहे, वे कर सकते हैं।

(कोई भी सदस्य बोलने के लिये खड़ नहीं हुआ)

(ii) अनुपूरक अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष: पहली प्रैक्टिस के अनुसार और हाउस का समय बचाने के लिये आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज एक साथ पढ़ी गई तथा पे 1 की गई सभी डिमांडज एक साथ पढ़ी गई तथा पे 1 की गई समझी जायेगीं माननीय सदस्य किसी भी डिमांड पर डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन बोलते समय वह डिमांड का नम्बर बतादे जिसे ऊपर वे बोलना चाहते हैं। The demands will be put to the vote of the House after the conclusion of discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 73334 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20029072 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.2-General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 64090100 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7624885 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.4- Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13197498 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.5- Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27666225 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.6- Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 26518000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.8- Building and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 73074030 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.9- Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 252582740 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of

payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.10-Medical and public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14426403 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7276600 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.12-Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 56756096 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2451530 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.14-Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17923120 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 77381990 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5251880 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.18-Animal Husbandary.

That a supplementary sum not exceeding Rs.795620 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.19-Fisheries.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10011680 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.20-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs.18893190 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.21-Communitiy Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10979900 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of

payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.22-Corporation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.46631095 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.23-Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs.543180 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.24-Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs.97089270 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.25-Loans and Advances by State Government.

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker: since no hon. Member wants to speak, I will puyt the demands to the vote of the House.

Voices: All the demands be put together.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 73334 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20029072 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.2-General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 64090100 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7624885 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.4-Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13197498 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.5-Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 27666225 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.6-Finance.

The motion was carried.

वाक आउट

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर सहाब हमारे साथ सारी चीजों में ज्यादाती हुई है। रूलिंग पार्टी ने अन डेमोक्रेटिक रूख अपनाया है। हमने एंटी डिफैक्ट इन बिल रखा, वह रिजैक्ट कर दिया गया। श्री किताब सिंह एम.एल.ए. का मामला रखा था उसको आपने थोड़ा बहुत सम्भाला, लेकिन उस पर भी हमारी कोई खास तसल्ली हनी हुई हमारे क्वै चनज भी ठीक से नहीं लगाये गये। हमारा नौन आफिियल रैज्योटू इन भी आद में रख दिया गया और उसे भी हाउस में आगे डिस्कस करने के लिये ये नहीं लाना चाहते हैं। अब बजट पर बोलने के लिये भी कोई टाईम नहीं है। हमें मजबूर हो कर हाउस का बहिष्कार करना पड़ा। हम चाहते हैं कि आपको पूरा सहयोग दे लेकिन हमें पूरा समय नहीं मिल रहा है हम किसानों के बारे में, हरिजनों के बारे में कुछ नहीं कर सके हैं। आप जानते हैं कि सरकार ने आम आदमी परीसेल्ज टैक्स बढ़ाया है जजीया लगाया है। इसी प्रकार बिजली बोर्ड में बड़ी भारी कुरूप इन है। वहां पर बड़ा भारी घपला हुआ है वे सारी बातें भी हमने कहनी हैं। बिजली बोर्ड ने रिजैक्ट किये हुए गाजियाबाद की ईस्ट इंडिया कम्पनी के ट्रांसफार्मर खरीदे हैं। 17 दिसम्बर के नवभारत अखबार में भी यह खबर आयी हुई है। अगर आप टाईम बढ़ायेंगे तो ठीक है वरना हमें मजबूर हो कर सैन इन का बहिष्कार करना पड़ेगा।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। लीडर आफ दि अपोजी इन ने दो बातों पर एतराज किया है जो सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि स्पीकर साहब के खिलाफ कही है। एक तो इन्होंने कहा कि रीज्योलू इन नहीं आने दिया। दूसरे इन्होंने कह कि क्वै चन इस तरह से लगाये जाते है जो पूछ ही नहीं पाते है। ये दोनो बाते एक्सपंज की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: लीडर आफ दि अपोजी इन ने जो बाते यहां हाउस मे अभी कही है, वे सभी स्पीकर के खिलाफ कही हैं सरकार के खिलाफ नहीं कही। जिन बातो पर मैं रूलिंग दे चुका हूं उन्हे क्रिटिसाइज किया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टरका कहने का मं ता यह है कि आपके सैंटीमेंटस को टच किया जयये लेकिन लीडर आफ दि अपोजी इन का मं ता यह नहीं है कि स्पीकर साहब के खिलाफ कुछ कहा जायें उनका तो केवल इतना मं ता थाकि जो रैजयालू इन आया वह ऊपर नीचे हो गया। रूलिंग पार्टी के मँबर का रैज्येल्ू इन एक तहसील के लिये थालेकिन उस पर सारे दिन कथा होती रही । हमने बार बार रिक्वैस्ट की कि इस रैज्योलू3 इनको भी अपने दउो लेतकिन उस पर डिस्क इन भुर्गु होने के लिये यह नहीं माने। हमें अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड करार देने मे कोइ आपत्ति नहीं थी। आप चाहे सारे हरियाणा को बैक्वर्ड डिक्लेयर कर दे और उस

रैज्योलू इन को भी पास करवादे लेकिन जानबूझ कर उन्होंने हमारे रैज्योलू इन को समाप्त कर दिया जिसमें सारे हरियाणाका इन्ट्रैस्ट जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंटर की टैक्टिकस है कि किसी तरह से हमारा रैज्योलू इन न आने पाये और तीनो नान आफिायल दिनों में उसी रैज्योलू इन पर बहस करायी जाये।

सैकण्डली जिस बात पर आपके सैटीमेंटस को टच करने की कोशिश की, वह है एण्टी डिफैव इन बिल। एंटी डिफैव इन बिल पर हमने रूलिंग दे दी लेकिन हमने आपसे यह रिक्वेस्ट की कि आप रूलिंग देने से पहले हमारी बात एक बार तो सुन ले लेकिन आपने सुनना वाजिब नहीं समझा, खैर कोई बात नहीं। हमारा कहने का मुछदा तो यह है कि यह जो सै इन हो रहा है इसके बारे में जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट चल रही थी तब भी हमने कहा था। अगर आप साराकुछ मिनट टू मिनट कैलकूलेट करेंगे तो we will get only three hours for discussiojn on budget. इस समय में से ही सरकार ने जवाब भी देना है। फिर हमारी साईड और दूसरी साईड वालों ने भी बोलना है। अपोजी इन को उसकी स्टैन्थ के हिसाब से टाइम मिलेगा। तीन घंटे में से इनको एक घंटा ही समय मिलेगा क्योंकि सरकार की टूथर्ड मैजोरिटी है। इस एक घंटे में लीडर आफ दि अपोजी इन बोलेंगी, वेरीयस गुप्स के लीडर्ज बोलेंगे। इ कसे अलावा बाकी जो अपोजीशन के मेंबरज साहेबान रह जाते हैं, उनमें से भी कईयों ने अपनी अपनी कांस्टीच्यूएड बड़ा ही सख्त हैं हमारी

आपसे अपीज है कि सारकर जो हमें गैंग करना चाहती है इसको कुछ समझाइये कि हमें बोलने का मौका दे।

श्री मंगल सैन: स्पीकर सहाब, मैं आपसे एक मोहतबाना गुजारि ा करना चाहता हूं। इस हाउस को आप प्रिजाइड कर रहे है। आप इस हाउस के डैकोरम और डिगनिटी के कस्टोडियन है। हमारे राइटस और प्रिविलिज को भी आप ही वाच करते है। स्पीकर साहब, आप खुद एप्री गियेट कर सकते है कि जहां डैमोक्रेसी मे ट्रेजरी बैंचिज का कन्ट्रोल होता है वहां अपोजीशन का भी कुछ रोल होता है। ब्रिटेन जोकि डैमोक्रेसी का मदर कंट्री है, मे अपोजी इन को बहुत ही डिगनीफाईड माना जाता है। स्पीकर सहाब, हमारी सबमि इन यही है कि हमें बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अगर आप ही हमें बोलने का मौका हनी देंगे तो हम कहां पर जाकर अपनी फरीयाद करेंगे, कौन साऐसाफोरम है जहां पर जाकर हमे अपनी फरियाद कर सकते है। आप ही देहिखये , क्लीन पब्लिक लाईफ के लिये एंटी डिफैक्ट इन बिल लाना क्या बर्निंग इ पू नही है? अखबारो को उठाकर देखिये। जिसने भी जूरिस्टस है और जितने भी सीरियसली थिंक करने वाले आदमी है, उकने लिये एक अड़ी भारी प्रोब्लम हो गयी है कि इस सैंचुरी मे इतनाकरैक्टर इरोजन हो गयाहै कि एक बादमी इलैक्ट तो किसी पार्टी से होता है, लेकिन दूसरे ही दिन किसी दूसरी पार्टी मे डिफैक्ट करके चला जाता है। जहां तक डिफैक्ट इन के मामले का संबंध है ब्रिटेन मे अक्वल तो डिफैक्ट इन होती ही

नहीं है, अगर होती थी है तो सैंचुरीज में कोई एक आध बार होती है। हरियाणा में राज्यसभा की सीट के लिये हम 3ए इलैक्ट्रिक इन में हुई क्रॉस वोटिंग के बारे में वीर प्रताप अखबार में जो कुछ लिखा गया है, उन भावों को पढ़ कर या सनुकर हमें तो बड़ी लज्जा आती है। हमारे मित्र तो फूल प्रूफ बन चुके हैं। इनको तो लज्जा आती ही नहीं है। हम एक तो डिफैक्ट इन बिल पर बोलना चाहते हैं। सैकण्डली हम यह कहते हैं कि आप हमें बजट पर तो बोलने का पूरा मौका दें। इसके अलावा हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट हमारे सामने आई है। अंडर रूलज हम उस पर डिस्क इन के लिये आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज ही इसको टेबल किया गया है। हम इस पर भी मो इन देंगे।

श्री अध्यक्ष: मैंने इसी लिये इसको डिले किया है।

श्री मंगल सैन: आपको हमको आपर्चूनिटी प्रावाइड की है कि हम अगर मो इन देना चाहे तो दे सकें क्योंकि इसके अंदर 400 करोड़ रुपये का लेने की बात कर रहे हैं। हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट है। इसका सब को पता है कि वहां पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है अगर हम इस पर डिस्क इन करने के लिये प्रिपेयर हो कर नहीं आयेंगे तो हम कैसे और क्या बोलेंगे। इस लिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन सारी बातों को देखें! You are thoroughly correct, Sir. We have every regard for you. आप उन्हें मजबूर करिये ताकि हमें कोई और कदम न उठाना पड़े। मेरा कहना यह है कि ये तो

वैसे ही अपनी जिद पर अड़े रह है। इसलिये इनको समझाइयेगा। आज भी यह ऐसा कर सकते है कि एक और बीक के लिये सै इन का एक्सटैंट कर दे। We should not be gagged, Sir.

चौधरी राम तेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, एक बात वीरेन्द्र सिंहा जी ने यह कही कि अगर तीन घंटे डिस्क इन हो तो दो घंटे ट्रेजरी बैचिज को मिलते है। ओर एक घंटा अपोजी इन को मिलता है। आपका रिकार्ड यह बोलता है कि 80 प्रति तात समय अपोजी इन को मिला है। हार्डली 20 प्रति तात समय ही हमें मिला है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं। जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस के सामने आयी, तो थोड़ी देर पहले ही इन्होंने अपने सारे आर्ग्यूमेंटस ओर दलीले जितनीये दे सकते थे, दिये कि इनके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादाती हो रही हैं यह वास्तव मे सही बात नहीं है। मुझे यह बात कहने के लिये समय तो नहीं लेना चाहिए। सच बत तो यह है कि हम तो तीन दिन फालतू हाउस की सिटिंग करने के लिये तैयार है लेकिन यह तो वैसे ही उंगली कटा कर भाहीद होने की बात कर रहे है। इसलिये मेरी आपसे अंत मे यह रिक्वैस्ट है कि पहले जो रिमाक्स कहे गये है, से एक्सपंज कर दिये जाये।

श्रीमती चंद्रावती: कौन से लपज ?

चौधरी राम तेर सिंह सुरजेवाला: जो आपने कहे थे।

श्रीमती चंद्रावती: स्पीकर साहब, मैंने आपकी तथा सैक्रेटेरियेट की भान के खिलाफ कोई भी गलत लपज नहीं कहे हैं और न ही मेरा ऐसा कहने का कोई मं ता था। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: बात ऐसे है कि लीडर आफ दी अपोजी ान की काफी रिस्पॉंसिबिलिटी होती है और आप अकसर कई दफा पता नहीं जान बूझकर या बगैर सोचे समझे कुछ कह जाती है। आपने 4-5 फिकरों में जितनी भी बातें कही, उनमें से एक बात भी आपने गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कही। आपने क्लीयर तौर पर यह कहा कि आपने एंटी डिफैक्ट ान बिल हमारा काटा, रैज्योलू ान आपने हमारा काटा और आपने हमारे सवाल टिवस्ट कर लिये। (व्यवधान) आपने कहा कि हमारे बिल टिवस्ट किये गये है। फिर उसके बाद आपने यह कहा कि वरना.....। जहां तक मैडम, वरना वाली बात का संबंध है, मैं किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकता, मैं किसी की जुबान भी नहीं पकड़ सकता, आपको पूरा अखितयार है कि जो कुछ आप करना चाहे, कर सकते है। मैं अपनी तरफ से इस बात की पूरी को ि ता करता हूं कि अपोजी ान कारे ज्यादा से ज्यादा टाईम किया जाये ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहने का मौका मिले और आप ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाईज कर सके। जहां तक बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का संबंध है, मुझे सैक्रेटेरियेट कसे यह पता लगा थाकि इस कमेटी की मीटिंग तो 10-15 मिनट तक ही चलती है लेकिन मैंने इसे आधे घंटे तक चलाया और इसके बाद भी मैंने आपसे और डाक्टर

साहब से बात की ओर रात के 10 बजे तक आपके टेलीफोन का इंतजार करता रहा। जहां तक टाईम की बात है, मेरायह सुझाव थाकि दोनो नान आफि गियल डेज को आफि गियलज डेज मे कन्वर्ट कर लिया जाये और दोनो सैचरडेज को भी सिटिंग कर ली जाये लेकिन उसके लिये भी आप तैयार नही हुए। गवर्नमेंट भी अपनी जिद पर अड़ी रही और आप भी अपनी जिद पर अड़े रहे। मेरे पास इसके सिवाय क्या चारा रहा गया था कि according to Rules of Procedure and Conduct of Business in the House, I should conduct the proceedings of the House. उसके बार आप वाक आउट कर गये। मैं देखता रहा कि भायद आप वाक आउट करके फौरन ही आ जायेंगे। नैक्सट आईटम के लिये भी आप नही आये। मेरे पास इस बात के सिवाय कोई चारा नही था कि मैं यह पूछूं कि क्या कोई मँबर सहेबान कुछ कहना चाहता है। उन्होंने यह कहा कि इसे पास किया जाये। दोनों आइटम्ज पास हो जाने के बाद आप आये। इन हालात मे अगर आप मेरे ऊपर डाउट करें तो ठीक नही होगा। मैंतो दोनो की बातें सुनता हूं। बल्कि ट्रेजरी बैचिज वाले यह कहते है कि मैं यहां पर अपोजी गन बैचिज की इमदाद करता रहता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर, आपकी नीयत परकिसी को भाक है ही नही। (व्यवधान व भाोर) सर, आपकी नीयत पर तो हम मे से किसी को भाक है ही नही। हम तो आपसे यह रिक्वैस्ट कर रहे है हक आप अपने गूड आफिसिज का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट

को यह समझाइये कि यह हमारी बात को मान ले। आपकी नीयत परतो कोई भाक करता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: एकचुअली जितना मैं समझा सकता था, मैंने समझाया है लेकिन अगर यह न मानें तो मैं क्या कर सकता हूँ।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आप रियल डैमोक्रेट है। आप ठीक एकोमोडेट करते है। आप कोई बात फील न करे।

Mr. Speaker: I have done to my capacity. जो कुछ मैं कर सकता था, वह मैंने किया है। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है।

श्रीमती चंद्रावती: स्पीकर साहब, चेयरम को डिग्रेड करने की मेरे कभी इटैन्स नही होती। हम चेयरम को अटमोस्ट रिगार्ड और रिसपैक्ट देते है लेकिन गवर्नमेंट हमें एकोमोडेट करने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं है। इस बारे मे हम आपका सरंक्षण चाहते है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको रात को टैलीफोन किया था और आपने कहा था कि मैं जवाब दूंगी (गोर एवं व्यवधान)

श्रीमती चंद्रावती: मेरा टेलीफोन ऐन्टैगल्ड हो गया। मैंने आपको टेलिफोन करने की बहुत कोशिश की लेकिन टेलिफोन मिला ही हनी (गोर एवं व्यवधान)।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यहां का टेलिफोन सिस्टम बहुत ही खराब है। पंजाब में उन्नीस लाइनें हैं और हरियाणा विधानसभा में सिर्फ पांच लाइनें हैं। जब भी लाइन मिलाने के लिये कहा जाता है तो कह देते हैं कि लाइनें हैल्ड अप हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब को टेलिफोन सिस्टम खराब होने के बारे में भी कहा है। बड़ी भारी प्रोब्लम है। स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि हमें आपके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। हम तो गवर्नमेंट के बारे में कह रहे हैं। ये हमको अपनी मैजोरिटी के बलबूते पर मजबूर कर रहे हैं कि हम यहां पर पार्टीसिपेट न कर सकें (गोर एवं व्यवधान)।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इन्होंने जो कुछ कहना था वह कह दिया। अब ये हाउस का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। हाउस में दो जिहाई मैजोरिटी हमारी है और एक तिहाई मैजोरिटी इनकी है। आप रिकार्ड निकलव कर देख लीजिए दो तिहाई समय दिया गया है। और आगे भी अगर ज्यादा समय से लिये ये कहते हैं तो दो तिहाई समय इनको दे दीजिये और एक तिहाई हमको दे दीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इनकी बूट मैजोरिटी है and they are gagging us.

श्री हीरा नंद आर्य: हम विरोध में वाक आउट करते हैं।

(इस समय विरोध पक्ष के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर
गए)

वर्ष 1982-83 के सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स (दूसरी कि त) पर
मतदान (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now I will put the remaining demands to the vote of the House.

Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 26518000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.8-Building and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 73074030 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 252582740 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.10-Medical and public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14426403 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7276600 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.12-Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 56756096 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2451530 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.14-Food and Supplies.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17923120 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 77381990 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5251880 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.18-Animal Husbandary.

That a supplementary sum not exceeding Rs.795620 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.19-Fisheries.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10011680 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.20-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs.18893190 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.21-Communitiy Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10979900 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of

payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.22-Corporation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.46631095 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.23-Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs.543180 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.24-Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs.97089270 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No.25-Loans and Advances by State Government.

The Motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिये ऐडजर्न किया जाता है।

***11.43 बजे**

(तत्प चात सदन बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 1983 प्रातः 9.30 बजे तक के लिये *स्थगित हुआ।)